संयुक्तांक

वर्ष 1 | अंक 4-6 | अप्रैल-जून 2025

अंत्योदय संकल्प

भारतीय जनता पार्टी, झारखण्ड प्रदेश का मुखपत्र

300वीं जन्म जयंती

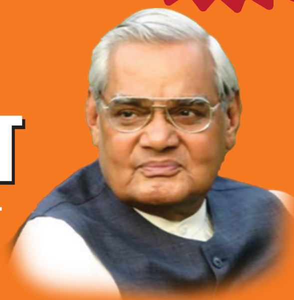

जन्म शताब्दी वर्ष

भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के सम्मान में राँची में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल श्री बाबूलाल मरांडी, श्री सी.पी. सिंह एवं अन्य।

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के सम्मान में राँची में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल श्री कर्मवीर सिंह एवं अन्य।

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के सम्मान में जमशेदपुर में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल श्री अर्जुन मुण्डा एवं अन्य।

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के सम्मान में सरायकेला खरसांवा में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल श्री चंपई सोरेन एवं अन्य।

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के सम्मान में हजारीबाग में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल श्री मनीष जयसवाल एवं अन्य।

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के सम्मान में साहेबगंज में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल श्री अनंत ओझा एवं अन्य।

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के सम्मान में पलामू में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल श्री बी.डी. राम, श्री मनोज सिंह एवं अन्य।

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा का दृश्य।

जून माह की अमर तिथियाँ

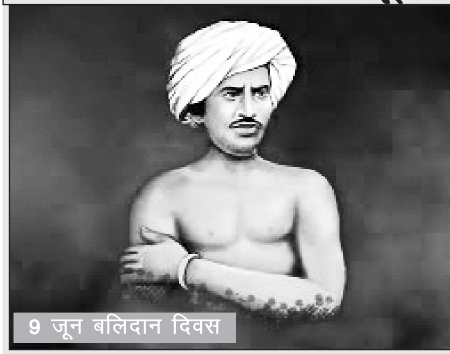
9 जून बलिदान दिवस

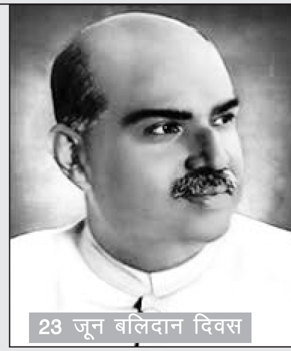
23 जून बलिदान दिवस

30 जून हूल दिवस

अमर शहीद राष्ट्रनायकों को शत् शत् नमन्

वर्ष 1 | अंक 4-6 | अप्रैल-जून 2025

अंत्योदय संकल्प

भारतीय जनता पार्टी, झारखण्ड प्रदेश का मुखपत्र

संपादक
रविनाथ किशोर
ravi1974jha@gmail.com

मुद्रण
कैलाश पेपर
कोकर इंडस्ट्रीयल एरिया, कोकर, राँची
टोल फ्री - 1800 889 4101

प्रकाशक और मुद्रक
बालमुकुंद सहाय
द्वारा भारतीय जनता पार्टी
झारखण्ड प्रदेश के लिए
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय
एम-7, हरमू हाउसिंग कॉलोनी
रांची-834002 से प्रकाशित और
कैलाश पेपर, कोकर इंडस्ट्रीयल एरिया,
कोकर, राँची से मुद्रित
टोल फ्री - 1800 889 4101
Email : info@kailashpaper.com

अनुक्रम

1.	'भारत हर आतंकवादी, उसके आकाओं और उनके समर्थकों की पहचान करेगा, उन्हें ट्रैक करेगा और उन्हें दंडित करेगा'	3
2.	पाकिस्तान के साथ बात होगी तो आतंकवाद और पीओके पर होगी : नरेन्द्र मोदी	4
3.	प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का राष्ट्र को संबोधन	5
4.	ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली और पाकिस्तान एयरबेसों को ध्वस्त किया	8
5.	ऑपरेशन सिंदूर	10
6.	इस विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है: जगत प्रकाश नड्डा	11
7.	अटल जी झारखंड निर्माता हैं, राज्य की जनता सदैव उनकी ऋणी रहेगी	13
8.	मुतवली, वाकिफ, वक्फ सब मुस्लिम ही होंगे: अमित शाह	17
9.	हम वक्फ बोर्ड्स को बहुत ही धर्मनिरपेक्ष और समावेशी बनाना चाहते हैं: किरेन रिजिजू	20
10.	विकसित भारत का अमृत काल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल	22
11.	लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने सतत् विकास पर आधारित सुशासन के माध्यम से जन कल्याण के कार्य किए : शिव प्रकाश	24
12.	जन सेवा और सांस्कृतिक पुनरुद्धार की प्रतिमूर्ति थीं रानी अहिल्याबाई होलकर: बाबूलाल मरांडी	26
13.	वक्फ संपत्ति का सही उपयोग हो तो सऊदी अरब से भी ज्यादा धनी होंगे भारत के मुसलमान : दुष्यंत गौतम	28

संपादकीय...

''ऑपरेशन सिंदूर'' प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ भारत की विराट एकजुटता का प्रतीक है

पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साहसिक और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की मुखर प्रतिक्रिया ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री ने आतंकवादी घटना के बाद उत्पन्न स्थिति और परिस्थिति का गहन विश्लेषण के उपरांत एक के बाद एक प्रभावी कदम उठाकर पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। सर्वप्रथम राजनयिक स्तर पर कठोर और दूरगामी फैसले लेकर पाकिस्तान पर प्रहार किया गया। इसके तहत भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधो को सीमित किया। श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक के बाद सिंधु जल समझौते को निलंबित करने की ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय की घोषणा की गई साथ ही अटारी और सुचेतगढ़ में भारत पाकिस्तान सीमाएं बंद की गई। सिंधु जल समझौते के निलंबन के निर्णय से पाकिस्तान को गहरा झटका लगा। मोदी जी के इस निर्णायक प्रहार से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बूरी तरह प्रभावित होगी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है; जो लगभग पूरी तरह से सिंधु नदी पर निर्भर है। सिंधु जल समझौते के निलंबन की घोषणा से पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तानी नेता अनाप–शनाप बयानबाजी कर भारत को धमकी देने लगे। मोदी सरकार के इस कूटनीतिक हमले से पाकिस्तान अभी संभला भी नहीं था कि भारत ने ''ऑपरेशन सिंदूर'' के माध्यम से पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया तथा सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण एयरबेस नूर खान रावलपिंडी, मुरीद एयर बेस पंजाब, सियालकोट, पसरुर, भोलारी, जैकोबाबाद सहित कुल 11 पाकिस्तानी एयरबेसों को भारी नुकसान पहुंचाया। इन हमलों से पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली पंगु हो गई। ऑपरेशन सिंदूर के सटीक प्रहार से भारत, अमरीका तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित और वांछित बड़े आतंकवादी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने भारत की सामरिक क्षमता को साबित करने के साथ–साथ आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़संकल्प को स्थापित किया। भारत की मर्यादित और सटीक कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिला। इस अभियान ने भारतीय सशस्त्र बलों की अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के साथ साथ भारत के एयर डिफेंस की श्रेष्ठता भी सिद्ध की। पाकिस्तान द्वारा किए गए ड्रोन हमलों एवं मिसाइल हमलों को जिस प्रकार से भारत की उन्नत रक्षा प्रणालियों से मार गिराया गया; उसने संपूर्ण विश्व में हमारे देश की सैन्य क्षमता और दक्षता को स्थापित किया है।

ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता में राफेल विमान, ब्रह्मोस मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल, हैमर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन युद्ध उपकरणों का उपयोग भारतीय सेना ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया।दूरस्थ लक्ष्यों को अपना निशाना बनाने की इन उपकरणों की विशेषता ने भारत की तकनीकी दक्षता और श्रेष्ठता को सिद्ध किया तथा पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। ऑपरेशन सिंदूर में घातक ब्रह्मोस मिसाइल और रुसी रक्षा उपकरण एस 400 मिसाइल रोधी के पराक्रम की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। ब्रह्मोस मिसाइल ने जहां आतंकवादियों एवं पाकिस्तान के एयरबेसों को तबाह किया वहीं एस 400 ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम किया। यहां हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार भारी विरोध के बावजूद राफेल और एस 400 को खरीदकर भारत की सैन्य ताकत को बढाया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व में भारत की सामरिक शक्ति निरंतर बढ रही है। युद्ध के आधुनिक तौर तरीके के मुताबिक तकनीक से सुसज्जित और प्रशिक्षित सैन्य जरूरतों को पूरा करने में मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

ऑपरेशन सिंदूर एक संप्रभु राष्ट्र के साहस, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निडर और निर्भीक भारत की आतंकवाद के खिलाफ मुखर प्रतिक्रिया है; जो सीमा पार जाकर देश के दुश्मनों को मिट्टी में मिला देता है। ऑपरेशन सिंदूर पूरे विश्व को यह संदेश दिया है कि भारत आतंकी हमलों को अब बर्दाश्त नहीं करता है, जवाबी कार्रवाई करता है। वो दिन गये जब भारत की धरती पर होने वाली आतंकवादी घटनाओं पर शोक प्रकट किया जाता था, आतंकवादी घटना की कड़ी निंदा की जाती थी, आतंकवादियो को बचाने के भी प्रयास होते थे। परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस नीति में बदलाव करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं देशवासियों की रक्षा के लिए भारत किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है।

ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सैन्य ताकत के प्रदर्शन के साथ साथ राजनयिक और कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय जगत में अलग–थलग कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने विभिन्न दलों के सांसदों की अलग अलग टोली को भारत के पक्ष को रखने तथा पाकिस्तान का आतंकी चेहरा को उजागर करने के लिए भेजा है। पहलगाम हमले के बाद जिस प्रकार से मोदी सरकार ने सभी दलों के साथ लंबी बैठकें की,सभी से संवाद किया, देश को एकजुट रखकर, सकारात्मक ऊर्जा के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया,उससे भारत की एकजुटता का संदेश पूरे विश्व को गया और पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए भारत से भीख मांगनी पड़ी।

रविनाथ किशोर

'भारत हर आतंकवादी, उसके आकाओं और उनके समर्थकों की पहचान करेगा, उन्हें ट्रैक करेगा और उन्हें दंडित करेगा'

जम्मू–कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों द्वारा निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्या पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पूरा देश व्यथित है और शोकाकुल परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उपचार करा रहे लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

श्री मोदी ने परिवारों को हुए भारी नुकसान पर प्रकाश डाला, जहां कुछ ने अपने बेटे, भाई या जीवन साथी खो दिए।

उन्होंने कहा कि पीड़ित विभिन्न भाषायी और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से थे– कुछ बंगाली, कन्नड़, मराठी, ओडिया, गुजराती बोलते थे और कुछ बिहार से थे। यह बताते हुए कि कारगिल से कन्याकुमारी तक इस हमले पर पूरे देश में समान रूप से दुःख और आक्रोश है, श्री मोदी ने कहा कि यह हमला केवल निहत्थे पर्यटकों पर नहीं था बल्कि भारत की आत्मा पर एक निर्लज्ज हमला था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की, ''इस हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों और इसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से परे सजा मिलेगी।''

आतंकवाद के बचे हुए गढ़ों को खत्म करने का समय

श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद के बचे हुए गढ़ों को खत्म करने का समय आ गया है। उन्होंने जोर देकर कहा, ''140 करोड़ भारतीयों की इच्छाशक्ति अब आतंकवाद के आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी।''

प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से घोषणा करते हुए कहा कि भारत हर आतंकवादी, उसके आकाओं और उसके समर्थकों की पहचान करेगा, उन्हें ट्रैक करेगा और उन्हें दंडित करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत उन्हें धरती के कोने–कोने तक खदेड़ देगा। श्री मोदी ने जोर देकर कहा, ''आतंकवाद से भारत की आत्मा कभी नहीं टूटेगी और आतंकवाद को दंडित किया जाएगा। न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ इस संकल्प के प्रति दृढ़ है।''

श्री मोदी ने यह भी कहा कि मानवता में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति इस मुश्किल समय में भारत के साथ खड़ा है। उन्होंने विभिन्न देशों के लोगों और नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस मुश्किल समय में भारत का साथ दिया।

सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति का बड़ा फैसला

भारत ने सिंधु जल संधि स्थगित की

आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को सीमित करने और वर्ष 1960 से लागू सिंधु जल संधि निलंबित करने सहित कई कदमों की घोषणा की। विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री ने 23 अप्रैल, 2025 को बताया कि भारत पाकिस्तान के साथ वर्ष 1960 से लागू सिंधु जल संधि को 'तत्काल प्रभाव से स्थगित' कर रहा है। यह निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक के बाद तय की गई पांच– आयामी प्रतिक्रिया का हिस्सा है।

अटारी और सुचेतगढ़ में भारत-पाकिस्तान सीमाएं बंद

जम्मू–कश्मीर के पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पंजाब के अमृतसर में अटारी–वाघा सीमा को बंद कर दिया। जम्मू के सुचेतगढ़ एवं सांबा में चमलियाल में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर ऑक्ट्रोई पोस्ट पर भी नागरिक आवाजाही को रोका गया, यह कदम पहलगाम हमलों के जवाब में अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) को बंद करने के एक दिन बाद उठाया गया।

कश्मीर में आतंकवादियों के घर ध्वस्त

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 अप्रैल, 2025 को कश्मीर के विभिन्न जिलों में चार आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त कर दिया। पुलवामा, शोपियां, कुपवाड़ा और कुलगाम जिलों में सक्रिय आतंकवादियों से जुड़ी संपत्तियों पर यह कार्रवाई की गई।

पाकिस्तान के साथ बात होगी तो आतंकवाद और पीओके पर होगी : नरेन्द्र मोदी

जम्मू–कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल, 2025 को हुए बर्बर आतंकी हमले ने देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया। इसमें धर्म पूछकर 26 निर्दोष व निहत्थे नागरिकों की हत्या कर दी गयी। इस खौफनाक मंजर से पूरा देश रोष में था और राष्ट्र ने आंतकियों को कड़ा सबक सिखाने का प्रण लिया। आतंकियों और उनके मददगारों को कठोर संदेश देने के लिए भारत ने 7 मई, 2025 की रात को 'ऑपरेशन सिंदूर' लॉच किया और पाकिस्तान स्थित कई विशाल आतंकी ठिकानों पर सटीक प्रहार कर उन्हें मिट्टी में मिला दिया। इससे पहले भारत ने 2016 में उरी हमले के खिलाफ नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान स्थित आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया था, ऐसे ही 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के उत्तर में पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गयी थी। सच तो यह है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' पिछली सभी कार्यवाहियों से ज्यादा प्रभावशाली और निर्णायक रहा। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान पर सटीक और सुनियोजित सैन्य कार्रवाई की। सीमा पार के मुख्य आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने के साथ–साथ पाकिस्तान के कई महत्त्वपूर्ण एयरबेसों को भी "ऑपरेशन सिंदूर" ने भारी नुकसान पहुंचाया। उल्लेखनीय है कि कार्रवाई 'ऑपरेशन सिंदूर' का नाम स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ही दिया था।

इस कार्रवाई के दौरान नियंत्रण रेखा पार कर कई सटीक विध्वंशकारी हमले किए गए, जिसमें जैश और लश्कर के आतंकवादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि ये सैन्य हमले आत्मरक्षा हेतु किये गये हैं और यह सीमा पार मौजूद आतंकवादी अड्डों को नष्ट करने के लिए थे। हमारी यह कार्रवाई सैन्य ठिकानों पर नहीं थी। भारत पहले से ही यह चेतावनी देता रहा है कि किसी भी पाकिस्तानी दुस्साहस का उचित जवाब दिया जाएगा और 'ऑपरेशन सिंदूर' को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र ने हाल के दिनों में भारत की शक्ति और संयम दोनों को देखा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ केवल आतंकवाद और पीओके पर बात होगी। उन्होंने प्रत्येक भारतीय नागरिक की ओर से देश की अजेय सशस्त्र सेनाओं, खुफिया एजेंसियों और वैज्ञानिकों को सलाम किया।

ऑपरेशन सिंदूर लाखों भारतीयों की भावनाओं का प्रतिबिंब हैं : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का राष्ट्र को संबोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राष्ट्र ने हाल के दिनों में भारत की शक्ति और संयम दोनों को देखा है। उन्होंने प्रत्येक भारतीय नागरिक की ओर से देश की अजेय सशस्त्र सेनाओं, खुफिया एजेंसियों और वैज्ञानिकों को सलाम किया। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के उद्देश्यों को प्राप्त करने में भारत के बहादुर सैनिकों द्वारा दिखाए गए अटूट साहस, उनकी वीरता, सहनशीलता और अदम्य उत्साह के बारे में बताया। उन्होंने इस अद्वितीय वीरता को राष्ट्र की प्रत्येक मां, बहन और बेटी को समर्पित किया।

22 अप्रैल को पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि इसने देश और दुनिया को झकझोर दिया है। श्री मोदी ने इस कृत्य को आतंक का एक वीभत्स प्रदर्शन बताया, जिसमें छुट्टियों का आनंद ले रहे निर्दोष नागरिकों को उनके परिवारों और बच्चों के सामने उनकी आस्था के बारे में पूछकर बेरहमी से मार दिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह न केवल क्रूरता का कार्य था, बल्कि राष्ट्र के सौहार्द को तोड़ने का एक घिनौना प्रयास भी था।

हमले पर अपनी गहरी व्यक्तिगत पीड़ा व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे हर नागरिक, हर समुदाय, समाज का हर वर्ग और हर राजनीतिक दल आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग में एकजुट है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने सशस्त्र बलों को आतंकवादियों को खत्म करने की पूरी आजादी दी है। श्री मोदी ने सभी आतंकवादी संगठनों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अब देश की महिलाओं की गरिमा को नुकसान पहुंचाने के प्रयासों के परिणामों को पूरी तरह से समझ गए हैं।

ऑपरेशन सिंदूरः लाखों भारतीयों की भावनाओं का प्रतिबिंब

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, "ऑपरेशन सिंदूर केवल एक नाम नहीं है, बल्कि यह लाखों भारतीयों की भावनाओं का प्रतिबिंब है।" उन्होंने इसे न्याय के प्रति एक अखंड प्रतिज्ञा बताया, जिसे दुनिया ने 6–7 मई को पूरा होते देखा। श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों और प्रशिक्षण केंद्रों पर सटीक हमले किए, जिससे एक निर्णायक झटका लगा।

उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने कभी नहीं सोचा था कि भारत इतना साहसिक कदम उठाएगा, लेकिन जब अपना देश 'राष्ट्र प्रथम' के अपने मार्गदर्शक सिद्धांत के साथ एकजुट होता है, तो दृढ़ निर्णय लिए जाते हैं और प्रभावशाली परिणाम सामने आते हैं। श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर भारत के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने न केवल उनके बुनियादी ढांचे को बल्कि उनके मनोबल को भी चकनाचूर कर दिया।

प्रधानमंत्री ने बताया कि बहावलपुर और मुरीदके जैसे स्थान लंबे समय से वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में काम कर रहे थे, जो उन्हें दुनिया भर में बड़े हमलों से जोड़ते हैं, जिसमें अमेरिका के 9/11 हमले, लंदन ट्यूब बम विस्फोट और भारत में दशकों से चली आ रही आतंकवादी घटनाएं शामिल हैं।

100 से अधिक खतरनाक आतंकवादियों का सफाया

श्री मोदी ने कहा कि चूंकि आतंकवादियों ने भारतीय महिलाओं की गरिमा को नष्ट करने का साहस किया था, इसलिए भारत ने आतंक के मुख्यालय को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के परिणामस्वरूप 100 से अधिक खतरनाक आतंकवादियों का सफाया हो गया। इनमें वे प्रमुख व्यक्ति भी शामिल थे, जिन्होंने दशकों से भारत के खिलाफ खुलेआम साजिश रची थी। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ धमकियां देने वालों को शीघ्र ही निष्प्रभावी कर दिया गया है।

श्री मोदी ने कहा कि भारत के सटीक और जोरदार हमलों ने पाकिस्तान को गहरी हताशा में डाल दिया है, जिससे वह हताश हो गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में शामिल होने के बजाय एक लापरवाह कार्रवाई की है। उसने भारतीय स्कूलों, कॉलेजों, गुरुद्वारों, मंदिरों और नागरिक घरों पर हमले किए, साथ ही सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया।

श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे इस आक्रमण ने पाकिस्तान की कमजोरियों को उजागर किया, क्योंकि उसके ड्रोन और मिसाइल भारत की उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों के सामने तिनके की तरह ढह गए, जिसने उन्हें आसमान में ही

भारत ने पाकिस्तान की गतिविधियों का दिया उचित उत्तर

- ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई, 2025 को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संयत और गैर भड़काऊ बताया था। पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाने का विशेष उल्लेख किया गया था। यह भी दोहराया गया कि भारत में सैन्य ठिकानों पर किसी भी हमले का उचित उत्तर दिया जाएगा।
- पाकिस्तान ने 7–8 मई, 2025 की रात ड्रोन और मिसाइलों द्वारा अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया। इन्हें एकीकृत काउंटर यूएएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा बेअसर कर दिया गया। इन हमलों के कई स्थानों से बरामद मलबे पाकिस्तानी हमलों की पुष्टि करते हैं।
- भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत ने भी पाकिस्तान की तरह ही उसी क्षेत्र में और उसी तीव्रता से जवाब दिया है। लाहौर में एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्प्रभावी करने की जानकारी विश्वसनीय रूप से मिली है।
- पाकिस्तान ने जम्मू–कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टरों में मोर्टार और भारी तीव्रता की तोपों का प्रयोग करते हुए नियंत्रण रेखा के निकट अकारण गोलीबारी में तेजी से बढ़ोतरी की है।
- पाकिस्तान द्वारा की गई गोलीबारी के कारण तीन महिलाओं और पांच बच्चों सहित सोलह निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई है। भारत ने पाकिस्तान की ओर से मोर्टार और तोपों की अकारण गोलीबारी का उचित उत्तर दिया है।
- भारतीय सशस्त्र बल पाकिस्तानी सेना द्वारा सम्मान करने की स्थिति में मामले को ओर अधिक ना बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

बेअसर कर दिया। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान ने भारत की सीमाओं पर हमला करने की तैयारी की थी, तब भारत ने पाकिस्तान के भीतर एक निर्णायक झटका दिया। भारतीय ड्रोन और मिसाइलों ने बेहद सटीक हमले किए, जिससे पाकिस्तानी एयरबेस को गंभीर नुकसान पहुंचा, जिसका वह लंबे समय से दावा करता आ रहा था। भारत की प्रतिक्रिया के पहले तीन दिनों के भीतर पाकिस्तान को उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक नुकसान उठाना पड़ा। भारत के आक्रामक जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने तनाव कम करने के तरीके तलाशने शुरू कर दिए और बढ़ते तनाव से राहत के लिए वैश्विक समुदाय से अपील की।

भारत ने बड़े पैमाने पर आतंकवादी ढांचे को नष्ट किया

प्रधानमंत्री ने खुलासा किया कि भारी नुकसान झेलने के बाद पाकिस्तान की सेना ने 10 मई की दोपहर को भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया। तब तक, भारत ने बड़े पैमाने पर आतंकवादी ढांचे को नष्ट कर दिया था, प्रमुख आतंकवादियों को खत्म कर दिया था और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया था।

श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी अपील में आश्वासन दिया है कि वह भारत के खिलाफ सभी आतंकवादी गतिविधियों और सैन्य आक्रमण को रोक देगा। इस बयान के आलोक में भारत ने स्थिति की समीक्षा की और पाकिस्तान के आतंकवादी और सैन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ अपने जवाबी अभियानों को अस्थायी रूप से स्थगित करने का फैसला किया। उन्होंने दोहराया कि यह स्थगन कोई निष्कर्ष नहीं है– भारत आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हर कदम का आकलन करना जारी रखेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके भविष्य के कार्य उसकी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हों।

'ऑपरेशन सिंदूर' अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थापित नीति

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के सशस्त्र बल– सेना, वायु सेना, नौसेना, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और अर्धसैनिक इकाइयां– हर समय राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाई अलर्ट पर रहती हैं। उन्होंने घोषणा की, "ऑपरेशन सिंदूर अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थापित नीति है, जो भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण में एक निर्णायक बदलाव को दर्शाता है।" श्री मोदी ने कहा कि इस ऑपरेशन ने आतंकवाद विरोधी उपायों में एक नया पैमाना, एक न्यू नॉर्मल स्थापित किया है।

प्रधानमंत्री ने भारत के सुरक्षा सिद्धांत के तीन प्रमुख स्तंभों के बारे में बताया; पहला है– निर्णायक जवाबी कार्रवाई, जब भारत पर किसी भी आतंकवादी हमले का मजबूत और दृढ़

जवाब दिया जाएगा। भारत अपनी शर्तों पर जवाबी कार्रवाई करेगा, आतंकी ठिकानों को उनकी जड़ों पर निशाना बनाएगा। दूसरा है– एटॉमिक ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करना; भारत एटॉमिक धमकियों से नहीं डरेगा।

उन्होंने बताया कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान दुनिया ने एक बार फिर पाकिस्तान की परेशान करने वाली सच्चाई देखी– मारे गए आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में पाकिस्तान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी खुलेआम शामिल हुए, जिससे साबित होता है कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद में पाकिस्तान की गहरी संलिप्तता है। प्रधानमंत्री ने फिर से पुष्टि करते हुए कहा कि भारत अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए निर्णायक कदम उठाता रहेगा।

भारत ने युद्ध के मैदान में पाकिस्तान को लगातार हराया है

इस बात पर जोर देते हुए कि भारत ने युद्ध के मैदान में पाकिस्तान को लगातार हराया है और ऑपरेशन सिंदूर ने देश की सैन्य शक्ति में एक नया आयाम जोड़ा है, श्री मोदी ने रेगिस्तान और पहाड़ी युद्ध दोनों में भारत की उल्लेखनीय क्षमता पर प्रकाश डाला और साथ ही नए युग के युद्ध में श्रेष्ठता स्थापित की। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन के दौरान 'मेड इन इंडिया' रक्षा उपकरणों की प्रामाणिकता निर्णायक रूप से साबित हुई। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया अब 21वीं सदी के युद्ध में एक दुर्जेय शक्ति के रूप में मेड इन इंडिया रक्षा प्रणालियों के आगमन को देख रही है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई में एकता भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने कहा कि यह युग युद्ध का नहीं है, लेकिन आतंकवाद का भी नहीं है। उन्होंने कहा, "आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस एक बेहतर और सुरक्षित दुनिया की गारंटी है।"

श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान की सेना और सरकार ने लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाइयां अंततः पाकिस्तान के पतन का कारण बनेंगी। श्री मोदी ने घोषणा करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान को अपना अस्तित्व बचाना है, तो उसे अपने आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा– शांति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते

श्री मोदी ने भारत के अटूट संकल्प की पुष्टि करते हुए कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते, टेरर और ट्रेड साथ–साथ नहीं चल सकते और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। वैश्विक समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की लंबे समय से चली आ रही नीति को दोहराया कि पाकिस्तान के साथ कोई भी बात होगी तो केवल टेरर पर होगी, पाकिस्तान के साथ कोई भी बात होगी तो केवल पीओके पर होगी।

बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया और इस बात पर जोर दिया कि शांति का मार्ग शक्ति द्वारा निर्देशित होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानवता को शांति और समृद्धि की ओर बढ़ना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक भारतीय सम्मान के साथ रह सके और विकसित भारत के सपने को साकार कर सके।

श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत को शांति बनाए रखने के लिए मजबूत होना चाहिए और जब आवश्यक हो, तो उस ताकत का प्रयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल की घटनाओं ने अपने सिद्धांतों की रक्षा करने के भारत के संकल्प को प्रदर्शित किया है। अपने संबोधन के समापन पर उन्होंने एक बार फिर भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता को सलाम किया और भारत के लोगों के साहस और एकता के प्रति अपना गहरा सम्मान व्यक्त किया।

मुख्य बातें

- आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों–बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है
- ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है
- आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था; इसलिए भारत ने आतंक के मुख्यालय को ही उजाड़ दिया
- पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया
- ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है
- निश्चित तौर पर यह युग युद्ध का नहीं है, लेकिन यह युग आतंकवाद का भी नहीं है
- आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस एक बेहतर दुनिया की गारंटी है
- टेरर और टॉक, एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड, एक साथ नहीं चल सकते, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता

ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली और पाकिस्तानी एयरबेसों को ध्वस्त किया

'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान प्रमुख पाकिस्तानी एयरबेसों पर भारत के 90 मिनट के लक्षित हमलों ने क्षेत्रीय सैन्य गतिशीलता में एक निर्णायक बदलाव की ओर इशारा किया है। इन सटीक हमलों ने पाकिस्तान की हवाई शक्ति, रक्षा तंत्र के समन्वय और किसी भी सार्थक जवाबी कार्रवाई को अंजाम देने की उसकी क्षमता को खत्म कर दिया। प्रत्येक बेस अपनी विशेषता रखता है और इनको क्षति पहुंचाये जाने से पाकिस्तान पर रणनीति और मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा।

1. नूर खान/चकलाला एयरबेस (रावलपिंडी)

नूर खान पर भारत के हमले ने पाकिस्तान की हवाई रसद एवं सैन्य समन्वय को बाधित किया। इस्लामाबाद के नजदीकी इस बेस को अक्सर वीआईपी गतिविधियों और सैन्य रसद पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके बर्बाद होने से पाकिस्तानी वायु सेना (पीएएफ) के शीर्ष नेतृत्व एवं इसकी परिचालन इकाइयों के बीच समन्वय टूट गया।

2. पीएएफ बेस रफीकी (शोरकोट)

रफीकी, एक प्रमुख लड़ाकू बेस है, जो फ्रंटलाइन लड़ाकू स्क्वाड्रनों का अड्डा है, उसका परिचालन बाधित किया गया। इसके एयरक्राफ्ट शेल्टर और रनवे को बर्बाद कर पाकिस्तान की काउंटर–एयर ऑपरेशन शुरू करने की क्षमता को काफी कमजोर कर दिया, खासकर मध्य पंजाब में इस बेस की भूमिका अहम है। इस कदम ने प्रभावी रूप से पीएएफ के सबसे तेज आक्रमण करने की क्षमता को नष्ट कर दिया।

3. मुरीद एयरबेस (पंजाब)

मुरीद को निशाना बनाकर भारत ने एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्र और संभावित मिसाइल भंडारण को बाधित कर दिया। इस हमले ने पाकिस्तानी वायु सेना की दीर्घकालिक तत्परता को प्रभावित किया। साथ ही पायलट प्रशिक्षण पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया और भविष्य के किसी भी ऑपरेशन में रसद पहुंचाने की इस बेस की क्षमताओं को समाप्त किया।

4. सुक्कुर एयरबेस (सिंध)

भारत द्वारा सुक्कुर एयरबेस को नुकसान पहुंचाने से पाकिस्तान का दक्षिणी हवाई गलियारा कट गया। सुक्कुर सिंध और बलूचिस्तान में सेना और उपकरणों की आवाजाही के लिए जरूरी था। इसके नष्ट होने से एक प्रमुख रसद प्रणाली प्रभावित हुई और दक्षिण में पाकिस्तान की क्षमता कमजोर हुई।

5. सियालकोट एयरबेस (पूर्वी पंजाब)

सियालकोट, जो भारतीय सीमा के करीब स्थित है, उसे संघर्ष की शुरुआत में ही नष्ट कर दिया गया था। यह बेस जम्मू और पंजाब की ओर उड़ान भरने के लिए एक अग्रिम परिचालन केंद्र के रूप में काम करता था। इसके नष्ट होने से पूर्वी सीमा पर एक महत्वपूर्ण ब्लाइंड स्पॉट बन गया, जिससे पाकिस्तानी स्थल सेना पर हमला करने में भारतीय वायुसेना के समक्ष आने वाली चुनौतियां समाप्त हो गयीं।

6. पसरूर हवाई पट्टी (पंजाब)

हालांकि पसरूर एक छोटी हवाई पट्टी है, लेकिन इसका उपयोग आपातकालीन विमान संचालन में किया जा सकता है। इसे नष्ट कर भारत ने पाकिस्तान की सामरिक शक्ति को कमजोर किया और पाकिस्तानी वायुसेना को अन्य अधिक

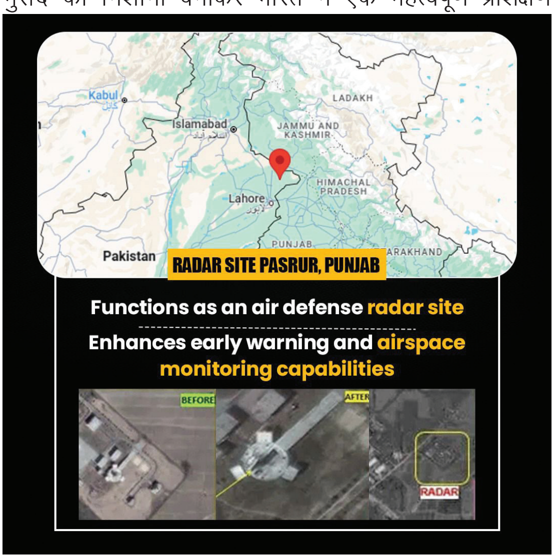

छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं : जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 'एक्स' पर कहा, "पहलगाम पर भारत का पैग़ाम – छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा– भारत की आत्मा पर हमला करने वालों को कड़ी सज़ा मिलेगी। भारत आतंकवाद को उसकी जड़ से उखाड़ फेंकने में सक्षम भी है और संकल्पबद्ध भी है। मिटा देंगे आतंकवाद का नासूर।"

ऑपरेशन सिंदूर भारत की सामरिक इच्छाशक्ति का प्रतीक : राजनाथ सिंह

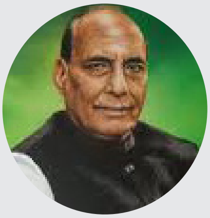

ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छाशक्ति का प्रतीक है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करता है।

संवेदनशील, उच्च प्रोफाइल बेस से उड़ान भरने पर मजबूर किया।

7. चुनियान (रडार/सहायता केंद्र)

चुनियान पर हमलों ने रडार कवरेज और संचार के बुनियादी ढांचे को बाधित किया, जो मध्य पंजाब के हवाई क्षेत्र की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण था। इस हमले ने पाकिस्तान की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया, जिससे भारतीय विमानों को उड़ान भरते समय कम जोखिम का सामना करना पड़ा।

8. सरगोधा एयरबेस (मुशाफ बेस)

सरगोधा एयरबेस पर प्रहार एक रणनीतिक मास्टरस्ट्रोक था। यह पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण बेस है, जहां कॉम्बैट कमांडर्स स्कूल, परमाणु प्लेटफॉर्म और उच्चस्तरीय स्क्वाड्रन मौजूद है। इसके ध्वस्त होने से पाकिस्तान की कमान और नियंत्रण संरचना पर असर पड़ा। यह झटका परिचालन और प्रतीकात्मक दोनों दृष्टि से अहम था, जिसने एक अजेय पीएएफ के मिथक को चकनाचूर कर दिया।

9. स्कार्दू एयरबेस (गिलगित-बाल्टिस्तान)

स्कार्दू पर भारत के हमले से वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास

हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है: अमित शाह

हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। : ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हमारे निर्दोष भाइयों की क्रूर हत्या के प्रति भारत की प्रतिक्रिया है। मोदी सरकार भारत और उसके नागरिकों पर किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

पाकिस्तान की उत्तरी निगरानी प्रणाली और हवाई अभियान कमजोर हो गए। इससे हिमालय क्षेत्र में चीनी–पाकिस्तानी समन्वय को मदद करने वाले सैन्य संपर्क भी बाधित हुए। उत्तरी क्षेत्र में सामरिक बढ़त अब पूरी तरह से भारत के पास है।

10. भोलारी एयरबेस (कराची के पास)

यह पाकिस्तान के सबसे नए एयरबेस में से एक है, जो नौसेना और वायुसेना दोनों के लिए अहम है, भोलारी पाकिस्तान की भविष्य की रणनीति के लिए महत्वपूर्ण था। इसके ध्वस्त होने से उन आकांक्षाओं को गहरी चोट पहुंची है। हमने तटीय रक्षा समन्वय को प्रभावित किया और कराची को भारत के हमलों की दृष्टि से असुरक्षित बना दिया।

11. जैकोबाबाद एयरबेस (सिंध-बलूचिस्तान)

जैकोबाबाद के नष्ट होने से पश्चिमी पाकिस्तान और भी अलग–थलग पड़ गया। ऐतिहासिक रूप से इसका इस्तेमाल तेजी से सैन्य तैनाती के लिए किया जाता था और यहां तक कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसके नष्ट होने से आंतरिक गतिशीलता, आपूर्ति श्रृंखला और पाकिस्तान की पश्चिमी हवाई निगरानी बाधित हो गई।

अंत में कहा जा सकता है कि इन एयरबेसों पर भारत के त्वरित और समन्वित हमलों ने पाकिस्तान की हवाई क्षमताओं को रणनीतिक रूप से ध्वस्त कर दिया। रडार नेटवर्क, कमांड हब और स्ट्राइक प्लेटफॉर्म को नष्ट करने से पीएएफ पंगु हो गया। युद्ध के मैदान में जीत से कहीं अधिक, ये संरचनात्मक विध्वंस थे– जिसका उद्देश्य पाकिस्तान की लड़ने की क्षमता को अक्षम करना और भविष्य में आक्रमण से बचाव था।

इस ऑपरेशन ने न केवल भारत की तकनीकी और सामरिक श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया, बल्कि दक्षिण एशिया में भारत की शक्तियों को भी पुनर्परिभाषित किया। पाकिस्तान के एयरबेसों के विनाश ने एक स्पष्ट संदेश दिया: अब बढ़त भारत के हाथ में है और किसी भी उकसावे की कीमत विनाशकारी होगी।

ऑपरेशन सिंदूर

आतंकवादी जिन्हें भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा मार गिराया गया...

- **मुदस्सर खादियन खास (अबू जुंदाल, मुदस्सर) -** जम्मू–कश्मीर में कई आतंकी गतिविधियों में शामिल, 2008 मुंबई हमले, भारत, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी
- **हाफ़िज़ मुहम्मद जमील** – भारत, अमेरिका द्वारा घोषित आतंकवादी
- **मोहम्मद यूसुफ़ अज़हर (मोहम्मद सलीम घोसी साहब)** – आईसी 814 अपहरण, डैनियल पर्ल हत्या, मुंबई हमला, पठानकोट – पुलवामा हमला – भारत, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी
- **खालिद (अबू अकाशा)** जम्मू–कश्मीर आतंकी गतिविधियों में शामिल – भारत द्वारा घोषित आतंकवादी
- **मोहम्मद हसन खान** – नगरोटा हमले में शामिल, भारत द्वारा घोषित आतंकवादी
- **अब्दुल मलिक रऊफ़** – जम्मू–कश्मीर में आतंकी हमलों में शामिल – भारत द्वारा घोषित आतंकवादी
- **मुदस्सिर अहमद** – सोनमर्ग हमले में शामिल – भारत द्वारा घोषित आतंकवादी
- **मौलाना अब्दुल रऊफ़ असगर (रऊफ़ अज़हर)** – आईसी 814 हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर का भाई, भारतीय संसद और पठानकोट हमले में शामिल – भारत, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी।

राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 पर चर्चा

इस विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है: जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 3 अप्रैल, 2025 को राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार और उसे सुव्यवस्थित करना है।

उन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया कि सरकार विधेयक को 'धकेल रही है', उन्होंने कहा कि विधायी प्रक्रिया समावेशी और पारदर्शी रही है।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया और हितधारक सहभागिता

श्री नड्डा ने विधेयक के निर्माण के दौरान अपनाई गई व्यापक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व वाले दृष्टिकोण की तुलना यूपीए काल से की। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में 31 सदस्य शामिल थे (जबकि 2013 में यूपीए के अंतर्गत 13 सदस्य थे) और 200 घंटों से अधिक समय तक 36 बैठकें हुईं। उन्होंने आगे कहा कि हितधारकों के साथ व्यापक विचार–विमर्श किया गया, जिसमें 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड, 15 राज्य सरकारें, अल्पसंख्यक आयोग, सांसद, विधायक और मंत्री सहित 284 हितधारक शामिल थे।

विपक्ष की रणनीति की आलोचना

श्री नड्डा ने विपक्षी सदस्यों पर राम मंदिर, कुंभ मेला, बिहार चुनाव और केरल सिनेमा जैसे अप्रासंगिक विषयों को चर्चा में लाकर बहस को पटरी से उतारने का आरोप लगाया, जिनका विधेयक से कोई संबंध नहीं है।

उन्होंने विपक्ष की चालों की ओर भी इशारा किया, जैसे कि विधेयक के दायरे से बाहर विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल करना। उन्होंने सनसनीखेज और चर्चा का राजनीतिकरण करने के प्रयासों की निंदा की और पक्षपातपूर्ण एजेंडे के बजाय राष्ट्रीय हित पर ध्यान देने का आग्रह किया।

राष्ट्रीय हित और उत्तरदायित्व

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है, जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी भूमि स्वामित्व श्रेणी (रेलवे और रक्षा के बाद) है। उन्होंने कहा कि 2013 अधिनियम के तहत वक्फ बोर्डों को दी गई अनियंत्रित शक्तियों के कारण मनमाने ढंग से भूमि अधिग्रहण और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन सहित दुरुपयोग हुआ। संशोधन का उद्देश्य जांच और संतुलन स्थापित करना है, यह सुनिश्चित करना कि वक्फ बोर्ड जनता, विशेष रूप से मुस्लिम समुदायों के प्रति जवाबदेह हो।

उन्होंने समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के उदाहरण के रूप में 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' और 'आवास योजना' जैसी योजनाओं का हवाला दिया तथा इस बात पर जोर दिया कि इसका लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी समुदायों तक पहुंचे।

वक्फ सुधारों के लिए अंतरराष्ट्रीय मिसाल

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने विधेयक की आवश्यकता को उचित ठहराने के लिए मुस्लिम बहुल देशों में सुधारों पर प्रकाश डाला। उदाहरण के लिए:

क. तुर्कीए ने 1924 में राज्य–नियंत्रित वक्फ प्रबंधन की स्थापना की तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 1990 के दशक में अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया।

ख. मलेशिया वक्फ परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए भू–मानचित्रण और आधुनिक वित्तीय मॉडल का उपयोग करता है, जिससे सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित होती है।

ग. सऊदी अरब और इंडोनेशिया और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए क्रमशः 2016 और 2004 में वक्फ कानूनों में सुधार किया था।

इन उदाहरणों का हवाला देते हुए उन्होंने सवाल किया कि

भारत में इसी तरह के सुधारों की आलोचना क्यों की जाती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विधेयक वक्फ संपत्तियों को जब्त नहीं करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि उनका प्रबंधन शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक कल्याण के लिए जिम्मेदारी से किया जाए।

संवैधानिक और कानूनी चिंताएं

श्री नड्डा ने 2013 के वक्फ अधिनियम में संवैधानिक उल्लंघनों पर प्रकाश डाला, जिनमें शामिल हैं:

क. अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार): अधिनियम ने वक्फ बोर्डों को बिना किसी उचित प्रक्रिया के एकतरफा रूप से संपत्तियों को वक्फ घोषित करने की अनुमति दी।

ख. अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार): इसने नागरिकों को वक्फ बोर्ड के निर्णयों को सिविल न्यायालयों में चुनौती देने के अधिकार से वंचित कर दिया तथा वक्फ न्यायाधिकरणों में शक्तियों को केंद्रीकृत कर दिया।

ग. अनुच्छेद 300 ए (संपत्ति अधिकार): यह 2013 अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत संपत्तियों को मनमाने ढंग से जब्त करने का अधिकार देता है।

उन्होंने कहा कि संशोधन में इन मुद्दों का समाधान किया गया है, जिसमें कलेक्टरों को वक्फ दावों को सत्यापित करने, जनजातीय भूमि (अनुसूची 5 और 6 के तहत) की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है कि सरकारी/स्वायत्त निकाय की संपत्तियों (जैसे एएसआई स्मारकों) को वक्फ के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

वक्फ संपत्तियों का दस्तावेजी दुरुपयोग

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कुप्रबंधन के खतरनाक उदाहरणों का हवाला दिया जैसेकि 25 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 5,970 सरकारी संपत्तियों को अवैध रूप से वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। कर्नाटक में 1975 और 2020 के बीच 10 सरकारी संपत्तियों (झीलों, मंदिरों और कृषि भूमि सहित) को वक्फ संपत्तियों में बदल दिया गया।

श्री नड्डा ने यह भी कहा कि सीएजी की 2018 की रिपोर्ट में अनधिकृत भूमि अधिग्रहण और जवाबदेही की कमी सहित प्रणालीगत खामियों को उजागर किया गया है।

सहयोग और चिंतन का आह्वान

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी से आग्रह किया कि वे इस विधेयक का समर्थन करें, ताकि हाशिए पर रह रहे मुस्लिम समुदायों के हितों की रक्षा हो सके। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने भू–माफियाओं को वक्फ संपत्तियों का शोषण करने की छूट दी और यह संशोधन ऐसे कमजोर वर्गों की रक्षा करता है, जिनमें महिलाओं से संबंधित विरासत के मुद्दों को भी संबोधित किया गया है। उन्होंने हाल के चुनावों में मतदाताओं द्वारा विभाजनकारी राजनीति को अस्वीकार करने का हवाला देते हुए विनम्रता और सहयोग की अपील के साथ अपने भाषण का समापन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी सरकार की 'सबका साथ, सबका विकास' के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की और सांसदों से पक्षपातपूर्ण एजेंडों पर राष्ट्रीय प्रगति को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आगामी जनगणना में जातिवार गणना की दी मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने 30 अप्रैल को आगामी जनगणना में जातिवार गणना शामिल करने का निर्णय लिया। यह वर्तमान सरकार की राष्ट्र और समाज के समग्र हितों और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना संघ का विषय है, जो सातवीं अनुसूची के संघ सूची में 69वें स्थान पर उल्लिखित है। हालांकि, कुछ राज्यों ने जातिवार गणना के लिए सर्वेक्षण किए हैं, पर इनमें पारदर्शिता और उद्देश्य अलग–अलग रहे हैं। कुछ सर्वेक्षण पूरी तरह राजनीति के दृष्टिगत किए गए हैं, जिससे समाज में दुविधा उत्पन्न हुई है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा सामाजिक ताने–बाने को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखना सुनिश्चित करने हेतु अलग–अलग सर्वेक्षणों की बजाय मुख्य जनगणना में ही जातिवार जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है।

यह सुनिश्चित करेगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत रहे और देश की प्रगति बिना किसी अवरोध के जारी रहे। उल्लेखनीय है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किये जाने पर समाज के किसी वर्ग में तनाव पैदा नहीं हुआ।

देश की आजादी के बाद से अब तक की सभी जनगणनाओं में जाति को बाहर रखा गया है। वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह ने लोकसभा को आश्वस्त किया था कि जातिवार जनगणना कराने के मुद्दे पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। इस विषय पर विचार–विमर्श के लिए मंत्रियों का एक समूह भी बनाया गया था। इसके अलावा, अधिकांश राजनीतिक दलों ने जातिवार जनगणना की सिफारिश की थी। इसके बावजूद भी पिछली सरकार ने जातिगत जनगणना की बजाय सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना सर्वेक्षण (एसईसीसी) का विकल्प चुना।

अटल जी झारखंड निर्माता हैं, राज्य की जनता सदैव उनकी ऋणी रहेगी

लाल राजेन्द्र नाथ शाहदेव

श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश के राजनीतिक इतिहास के अनमोल रत्न थे। अटल जी व्यक्ति ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन थे। उनकी विद्वता, वाक्पटुता और अकाट्य तर्कशक्ति की क्षमता सभी को सम्मोहित कर लेती थी।

यह मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे अटल जी के मार्गदर्शन और सानिध्य में काम करने का अवसर मिला। वर्ष 1964 में अटल जी जब ओडिशा के सम्बलपुर से राउरकेला होते हुए रांची आए थे तब मेरी उम्र 17 वर्ष थी, अटल जी 40 वर्ष के थे। आज जो रांची जिला समाहरणालय भवन है वह सिफ्टन पैवेलियन मैदान था। इसी मैदान में अटल जी का ऐतिहासिक भाषण हुआ था। मैदान में उपस्थित 20 हजार से अधिक की भीड़ को अपने ओजस्वी संबोधन से उन्होंने मंत्रमुग्ध कर दिया था। हर दो मिनट पर उनके भाषण पर तालियों की गड़गड़ाहट श्रोताओं में उत्साह और ऊर्जा भर देता था। इस अवसर पर वाजपेयी जी जहां ठहरे थे वहीं उन्होंने मेरे पिताजी स्व.लाल अमरेन्द्र नाथ शाहदेव को तथा मुझे भारतीय जनसंघ का सदस्य बनाया था। सदस्यता शुल्क चार आना था। भारतीय जनसंघ के संगठन विस्तार में अटल जी का अहम योगदान रहा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु के बाद अटल जी के कंधों पर भारतीय जनसंघ की जिम्मेदारी आ गई। अटल जी ने कई वर्षों तक संगठन का नेतृत्व कर इसका विस्तार किया।इसके बाद श्री लाल कृष्ण आडवाणी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वर्ष 1974 के संपूर्ण क्रांति को राष्ट्रीय आंदोलन बनाने में अटल जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। वर्ष 1975 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया तो इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। अटल जी सहित सैकड़ों राष्ट्रीय नेताओं, लाखों राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। उन पर मीसा एक्ट लगा दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा संघ के कई प्रचारकों को भी जेल में डाला गया। इस कठिन परिस्थिति में भी अटल जी ने क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित रखा। जेल में अटल जी ने कविता की रचना की। **'सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से....**।

19 महीने बाद जब आपातकाल को समाप्त किए बगैर विपक्ष के अस्तित्व को खत्म करने के उद्देश्य से लोकसभा चुनाव की घोषणा की गई तब इस विषम परिस्थिति में तानाशाही हटाने और लोकतंत्र को बचाने के उद्देश्य से सभी दलों को मिलाकर एक पार्टी बनाने की आवश्यकता महसूस की गई और इस प्रकार जनता पार्टी का गठन हुआ। चुनाव में जनता पार्टी की आंधी चली और तानाशाह इंदिरा गांधी पराजित हुई। केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बनी; अटल जी विदेश मंत्री बने। बतौर विदेश मंत्री वाजपेयी जी ने दुनियाभर में भारत की विदेश नीति को नया आयाम दिया। विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित किया साथ ही विश्व बंधुत्व का नारा दिया। जनता पार्टी में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध विच्छेद की बात आई तब अटल जी ने कहा कि हम अपने वैचारिक सिद्धांत पर अडिग हैं तथा आर एस एस से संबंध नहीं तोड़ सकते। **आओ फिर से दीया जलायें..**कविता के पाठ के साथ 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी इसके प्रथम अध्यक्ष बने। अटल जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में संगठनात्मक संरचना को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न प्रांतों में तदर्थ अध्यक्ष बनाए गए। बिहार में श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र अध्यक्ष बनाए गए इस दौरान मुझे एकीकृत रांची जिला (गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा खूंटी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद सदस्यता अभियान चलाकर तदर्थ समिति को समाप्त कर विधिवत पंचायत, मंडल, जिला एवं प्रदेश कमिटि का गठन हुआ। 28, 29, 30 दिसंबर 1980 को मुंबई में महाधिवेशन हुआ जिसमें अटल जी के प्रेरक ऐतिहासिक संबोधन से लाखों कार्यकर्ताओं ने देश के लिए और संगठन के लिए अपना जीवन लगा देने का संकल्प लिया। अटल जी ने कहा 'अंधेरा हटेगा, सूरज

निकलेगा, कमल खिलेगा। चुनाव दर चुनाव हुए; संगठन की शक्ति बढती गई, अबकी बारी अटल बिहारी का नारा लगता और अंततः वर्ष 1996 में अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बने। अटल जी के नेतृत्व में बनी एनडीए की सरकार ने भारत के सर्वांगीण विकास के लिए कई कार्य किए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यों के साथ उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। अटल जी ने पोखरण में परमाणु विस्फोट करके भारत को एटमी पावर से संपन्न किया। कारगिल वार में भारत की विजय को सुनिश्चित किया।

अटल जी का झारखंड से विशेष लगाव और स्नेह था। रांची के मोरहाबादी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अटल जी ने कहा था आप हमें यहां से अधिक से अधिक सीट दें; हम अलग राज्य देंगे। सत्ता में आने पर अटल जी ने वादा निभाया तथा क्षेत्र की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए झारखंड अलग राज्य निर्माण किया।

अटल जी ने झारखंड के सभी क्षेत्रों में प्रवास एवं दौरा कर संगठन का विस्तार किया। अटल जी ने गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, गिरीडीह, धनबाद, गोड्डा, देवघर, दुमका, साहेबगंज, चाईबासा, चक्रधरपुर, जमशेदपुर में बड़ी सभाओं को संबोधित किया। छोटे स्थानों पर सिसई, बसिया, कामडारा में कार्यकर्ताओं के आग्रह पर 200–300 लोगों की भीड़ को भी संबोधित किया। संगठन के प्रति उनका प्रेम हमें प्रेरित करता है।

1968 से 1973 तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे अटल जी ने 1973 में आडवाणी जी को अध्यक्षीय दायित्व सौंपते हुए कहा था कि "वर्ष 1951 में इसी कानपुर से यात्रा प्रारंभ हुआ था, कानपुर से संपूर्ण भारत की परिक्रमा कर पुनः कानपुर के इसी स्थान पर लौटने में 23 वर्ष लगे हैं, इस दौरान विजय के अनेकों शिखर पर चढने के मौके मिले हैं तो पराजय की घाटियों के बीच से भी गुजरना पड़ा है। न हम विजय के उन्माद में रहे न पराजय में निराश। व्यक्तिगत आकांक्षा में लगे लोग निराश हो सकते हैं किन्तु भारत को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा करने का लक्ष्य जिनके पास है वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चरैवेति चरैवेति के मंत्र के साथ निरंतर आगे बढते ही रहेंगे।"

अटल जी जब विदेश मंत्री के रूप में रांची एक्सप्रेस के आफसेट मशीन का उद्घाटन करने आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं आज मंत्री हूँ कल नहीं रहूँ, मैंने अपना जीवन पत्रकारिता से ही शुरू किया था, पत्रकारिता का गौरव मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जो मंत्री बन गए हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं तो मैं उनसे कहूंगा वे हिमालय की तराई में जाकर हिमालय की ऊंचाई को देखें अगर उससे भी मन नहीं भरता तो पूर्णिमा की रात्रि में पुरी में समुद्र में चंद्रमा की परछाई देखें।

गीत नया गाता हूँ

✍अटल बिहारी वाजपेयी

टूटे हुए तारों से फूटे वासन्ती स्वर,
पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर,
झरे सब पीले पात,
कोयल की कुहुक रात,
प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ।
गीत नया गाता हूँ।

टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी?
अन्तर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी।
हार नहीं मानूँगा,
रार नई ठानूँगा,
काल के कपाल पर लिखता–मिटाता हूँ।
गीत नया गाता हूँ।

उसी काल खण्ड में राँची एयरपोर्ट पर मैंने अटल जी को जब कार्यक्रम की तालिका सौंपी तो उन्होंने कहा कि मुझे अस्पताल परिसर के उद्घाटन की जानकारी नहीं थी तो मैंने कहा नागरमल सेवा सदन के अधिकारियों एवं चिकित्सकों के बारंबार आग्रह को मैं ठुकरा नहीं पाया इस कारण इसे जोड़ना पड़ा। अटल जी ने उद्घाटन के बाद डॉक्टरों को सम्बोधित करते हुए कहा "मुझे हवाई अड्डे पर पता चला कि अस्पताल परिसर का उद्घाटन करना है तो मैं सोचने लगा क्या मैं ये बोलूं कि अस्पताल रोगियों से भरा रहे, मैं तो यही कहुँगा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी रहें सभी निरोगी रहें। यहाँ मैं चिकित्सकों से निवेदन करूँगा कि भगवान के बाद आपका ही स्थान है। जब मैं यह सुनता हूँ कि डॉक्टर रोगी का पेट चीरकर पीड़ित परिवार के साथ सौदा करने लगते हैं तो मेरे हृदय में गहरा आघात लगता है। अतः आप रोगी के वेदना को गहराई से लें तथा उनकी सेवा हृदय से करें।

अटल जी आप हमारे हृदय में सदैव रहेंगे। देश और समाज के लिए जो आपने किया है वह सदैव अमर रहेगा। आप झारखंड निर्माता हैं, यहां की जनता सदैव आपकी ऋणी रहेगी।

(लेखक बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश महामंत्री एवं वर्तमान में कार्यसमिति सदस्य हैं।)

लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की ३००वीं जन्म जयंती पर आयोजित कार्यक्रम

राँची

बोकारो

पूर्वी सिंहभूम

देवघर

गिरिडीह

गढ़वा

हजारीबाग

गुमला

धनबाद

चतरा

जामताड़ा

लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की ३००वीं जन्म जयंती पर आयोजित कार्यक्रम

खुँटी

कोडरमा

लातेहार

लोहरदगा

पाकुड़

पलामू

रामगढ़

राँची

साहेबगंज

सराईकेला-खरसॉवा

सिमडेगा

पश्चिमी सिंहभूम

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 पर चर्चा (लोकसभा)

मुतवली, वाकिफ, वक्फ सब मुस्लिम ही होंगे: अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दो अप्रैल को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 पर चर्चा में हिस्सा लिया।

चर्चा में भाग लेते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ एक अरबी शब्द है, जिसका इतिहास हदीसों से जुड़ा हुआ है। आजकल जिस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, उसका मतलब है अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान या पवित्र धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान। उन्होंने कहा कि वक्फ का समकालीन अर्थ इस्लाम के दूसरे खलीफा श्री ओमर के समय में अस्तित्व में आया। आज की भाषा में वक्फ एक प्रकार

का Charitable Endowment है, जहां कोई व्यक्ति धार्मिक या सामाजिक भलाई के लिए संपत्ति दान करता है। इसमें दान निजी चीज का ही किया जा सकता है। सरकारी संपत्ति या किसी और की संपत्ति का दान नहीं कर सकते।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वक्फ बोर्ड में धार्मिक दान से जुड़े कार्यों में किसी गैर–इस्लामिक सदस्य को जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्थाओं के संचालन में गैर–मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान नहीं है और हम ऐसे प्रावधान करना भी नहीं चाहते। श्री शाह ने कहा कि विपक्ष भ्रांति फैला रहा है कि यह विधेयक मुस्लिमों के धार्मिक क्रियाकलापों और उनके द्वारा दान की गई संपत्ति में दखल के लिए लाया जा रहा। उन्होंने कहा कि विपक्ष अल्पसंख्यक समुदाय को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने की कोशिश कर रहा है।

वक्फ वही कर सकता है जो इस्लाम का अनुयायी हो

गृह मंत्री ने कहा कि वक्फ बोर्ड या इसके परिसरों में जिन गैर–मुस्लिम सदस्यों को रखा जाएगा, उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित नहीं होगा। वे सिर्फ यह सुनिश्चित करेंगे कि दान से संबंधित मामलों का प्रशासन नियम के अनुरूप हो रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि वक्फ भारत में ट्रस्ट की तरह है। ट्रस्ट में ट्रस्टी और एक मैनेजिंग ट्रस्टी होते हैं। वक्फ में वाकिफ और मुतवली होते हैं, जो इस्लाम के अनुयायी होते हैं। श्री शाह ने कहा कि वक्फ शब्द ही इस्लाम से आया है, इसलिए वक्फ वही कर सकता है जो इस्लाम का अनुयायी हो। उन्होंने कहा कि वक्फ धार्मिक चीज है, लेकिन वक्फ बोर्ड या वक्फ परिसर धार्मिक नहीं हैं। कानून के मुताबिक चैरिटी कमिश्नर किसी भी धर्म का व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि उसे ट्रस्ट नहीं चलाना। उसे यह सुनिश्चित करना है कि चैरिटी कानून के हिसाब से बोर्ड का संचालन हो। श्री शाह ने कहा कि यह धर्म का नहीं, प्रशासन का काम है।

श्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ बोर्ड का काम वक्फ की संपत्तियां बेच खाने वालों को पकड़कर बाहर निकालने का होना चाहिए। उसे ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने वक्फ के नाम पर औने–पौने दाम में संपत्तियों को सौ–सौ साल तक किराए पर दे रखा है। उन्होंने कहा कि वक्फ की आय कम होती जा रही है, जबकि वक्फ के पैसे से अल्पसंख्यक समुदाय का विकास होना चाहिए और इस्लाम धर्म की संस्थाओं को पुख्ता किया जाना चाहिए। इस पैसे की चोरी पर रोक लगाना ही वक्फ बोर्ड और उसके परिसर का काम होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है उनके राज में चलने वाली मिलीभगत चलती ही रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि अगर 2013 में वक्फ कानून में संशोधन नहीं किया गया होता, तो इस विधेयक को लाने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन 2014 में चुनाव से पहले 2013 में रातों–रात तुष्टीकरण की खातिर वक्फ कानून को Extreme बना दिया गया, जिसके कारण दिल्ली में लुटियन्स जोन की 123 वीवीआईपी संपत्ति वक्फ को दे दी गई। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उत्तरी रेलवे की भूमि वक्फ के नाम कर दी। वहीं, हिमाचल प्रदेश में वक्फ की संपत्ति बताकर उस जमीन पर अवैध मस्जिद बनाने का काम किया गया। तमिलनाडु के 1500 साल पुराने तिरुचेंदूर मंदिर की 400 एकड़ भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया।

श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक की एक समिति की रिपोर्ट के अनुसार 29,000 एकड़ वक्फ भूमि व्यावसायिक उपयोग के लिए किराए पर दे दी गई। वर्ष 2001 से 2012 के बीच 2 लाख करोड़ रुपए मूल्य की वक्फ संपत्ति निजी संस्थानों को 100 साल की लीज पर सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद 602

एकड़ भूमि के अधिग्रहण को रोका गया। विजयपुर, कर्नाटक के होनवाड़ गांव की 1500 एकड़ भूमि को विवादित बनाकर 500 करोड़ रुपए मूल्य की इस जमीन को फाइव–स्टार होटल को मात्र 12,000 रुपए प्रति माह के किराए पर दे दिया गया।

श्री अमित शाह ने कहा कि यह सारा पैसा गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए है, न कि धनकुबेरों की लूट के लिए। कर्नाटक में दत्तापीठ मंदिर पर दावा किया गया। तालीपरंबा में 75 साल पुराने एक दावे के आधार पर 600 एकड़ भूमि पर कब्जे की कोशिश की गई। ईसाई समुदाय की संपत्तियों पर भी कब्जा किया गया। उन्होंने कहा कि देश के कई चर्चों ने वक्फ बिल का समर्थन किया है, क्योंकि वे इसे मुस्लिम समुदाय की सहानुभूति जीतने का जरिया मानते हैं। लेकिन चार साल में मुस्लिम भाइयों को भी पता चल जाएगा कि यह विधेयक तो उनके फायदे का है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि तेलंगाना में 66 हजार करोड़ रुपए की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया, वहीं असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा किया गया। गुरुद्वारे से संबंधित हरियाणा की चौदह मरला भूमि को वक्फ को सौंप दिया और प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया। महाराष्ट्र के वडांगे गांव में महादेव के मंदिर पर दावा किया और बीड में कंकलेश्वर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ले ली।

वक्फ के पास लाखों-करोड़ों रुपए की भूमि है, लेकिन आय सिर्फ 126 करोड़ रुपए

श्री अमित शाह ने कहा कि मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से जुड़े ट्रस्ट यानी वक्फ में सरकार कोई दखल नहीं करना चाहती। मुतवली, वाकिफ, वक्फ सब उनके ही होंगे, परन्तु यह जरूर देखा जाएगा कि वक्फ की संपत्ति का रखरखाव ठीक से हो रहा है या नहीं। वक्फ का संचालन कानून के हिसाब से हो रहा है या निजी उपयोग के हिसाब से हो रहा है। उन्होंने सवाल किया कि सैकड़ों साल पहले किसी बादशाह की दान की गई संपत्ति को 12 हजार रुपए के मासिक किराये पर पांच सितारा होटल बनाने के लिए देना कहां तक उचित है। वह पैसा गरीब मुसलमानों, तलाकशुदा महिलाओं, अनाथ बच्चों, बेरोजगार मुसलमानों के भलाई और उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ के पास लाखों–करोड़ों रुपए की भूमि है, लेकिन आय सिर्फ 126 करोड़ रुपए है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जब 2013 का संशोधन विधेयक पेश किया था, उस समय सरकार में रहे वरिष्ठ नेताओं ने वक्फ की संपत्ति की लूट–खसोट रोकने के लिए कड़े कानून बनाने और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने की वकालत की थी। श्री शाह ने कहा कि मौजूदा विधेयक से पारदर्शी ऑडिट हो सकेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अपने संशोधन में लिखा था कि वक्फ बोर्ड के ऑडर को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन सच यह है कि इसे अदालत में चुनौती देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक retrospective effect से लागू नहीं होगा, लेकिन विपक्ष द्वारा मुस्लिमों को डराया जा रहा है।

श्री शाह ने वक्फ से जुड़े विधेयक में जिला कलेक्टर की भूमिका पर कहा कि देश में जब किसी मंदिर के लिए जमीन खरीदनी होती है तो कलेक्टर ही यह तय करता है कि जमीन का मालिकाना हक किसके पास है। उन्होंने कहा कि फिर वक्फ की भूमि की जांच कलेक्टर द्वारा किए जाने पर आपत्ति क्यों है? गृह मंत्री ने कहा कि वक्फ की भूमि सरकारी है या नहीं, इसे कलेक्टर ही सत्यापित कर सकता है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार का स्पष्ट सिद्धांत है कि वोट बैंक के लिए हम कोई कानून नहीं लाएंगे, क्योंकि कानून न्याय और लोगों के कल्याण के लिए होता है। इसी सदन में मोदी सरकार महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून लाई और पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार दिया गया। उन्होंने कहा कि सबको अपने धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है, लेकिन लोभ, लालच और भय से धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता।

श्री शाह ने कहा कि 2013 में लाए गए संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में कुल मिलाकर साढ़े 5 घंटे चर्चा हुई जबकि इस बिल पर दोनों सदनों को मिलाकर 16 घंटे चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने संयुक्त समिति बनाई, 38 बैठकें हुईं, 113 घंटे चर्चा हुई और 284 हितधारक बनाए गए। इन सबसे देशभर से लगभग एक करोड़ ऑनलाइन सुझाव आए जिनकी मीमांसा कर यह कानून बनाया गया और इसे ऐसे खारिज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सदन में हर सदस्य बोलने के लिए स्वतंत्र है यहां किसी एक परिवार की नहीं चलती है। सांसद जनता के नुमाइंदे हैं, किसी की कृपा से नहीं आए हैं और वे जनता की आवाज को रखेंगे।

यह भारत सरकार का कानून है जो सब पर बाध्य है

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह देश की संसद द्वारा बनाया गया कानून है जिसे सबको स्वीकारना पड़ेगा। यह भारत सरकार का कानून है जो सब पर बाध्य है और सभी को इसे स्वीकारना होगा। उन्होंने कहा कि 1913 से 2013 तक वक्फ बोर्ड की कुल भूमि 18 लाख एकड़ थी, जिसमें 2013 से 2025 के बीच 21 लाख एकड़ भूमि और बढ़ गई। इस 39 लाख

एकड़ भूमि में 21 लाख एकड़ भूमि 2013 के बाद की है। श्री शाह ने कहा कि लीज पर दी गई संपत्तियां 20 हजार थीं, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से 2025 में ये संपत्तियां शून्य हो गईं। उन्होंने कहा कि ये संपत्तियां बेच दी गईं। गृह मंत्री ने कहा कि कैथौलिक और चर्च संगठनों ने इस कानून को अपना समर्थन दिया है और 2013 के संशोधन को अन्यायी बताया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक जमीन की सुरक्षा प्रदान करेगा, किसी की जमीन घोषणा मात्र से वक्फ़ नहीं बनेगी और उसे सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि पुरातत्व विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जमीन को सुरक्षा देंगे और शेड्यूल 5 और 6 के अनुसार आदिवासियों की जमीन सुरक्षित हो जाएगी। इसके साथ ही आम नागरिक की निजी संपत्ति भी सुरक्षित हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि दान तो सिर्फ अपनी संपत्ति का ही किया जा सकता है इसीलिए स्वामित्व के बिना वक्फ निजी संपत्ति नहीं ले पाएगा। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता लाने के लिए वक्फ अधिनियम में सूचना देने की प्रक्रिया को शामिल किया गया है।

गृह मंत्री ने कहा कि वक्फ की संपत्ति घोषित करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है और अब इसे कलेक्टर से सत्यापित करवाना होगा। इसके साथ ही नए वक्फ का पारदर्शी तरीके से पंजीकरण भी करवाना होगा। उन्होंने कहा कि अब मुस्लिम भी वक्फ ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत अपना ट्रस्ट रजिस्टर करवा सकते हैं। श्री शाह ने कहा कि इसके लिए वक्फ कानून जरूरी नहीं है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने जोर देकर कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में भय पैदा करने का फैशन बन गया है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर, ट्रिपल तलाक और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के समय भी मुस्लिम समुदाय के लोगों में भय पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन मुस्लिम समुदाय भी जानता है कि भय की कोई बात नहीं थी। गृह मंत्री ने कहा विपक्ष कहता था कि CAA से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, लेकिन दो साल हो गए किसी की नागरिकता नहीं गई। उन्होंने विपक्ष से कहा कि अगर CAA से किसी की नागरिकता गई है तो वह उसकी जानकारी सदन के पटल पर रखे। श्री शाह ने कहा कि धारा 370 हटाने पर भी मुसलमानों को डराने का प्रयास किया गया, लेकिन आज वहां एक निर्वाचित सरकार है, आतंकवाद समाप्त हो गया, विकास शुरू हो गया और पर्यटन बढ़ गया।

श्री शाह ने कहा विपक्षी पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने मुसलमान भाइयों को डरा–डरा कर अपनी वोटबैंक खड़ी करने का काम किया है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार का यह संकल्प है कि इस देश के किसी भी नागरिक पर, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, कोई आंच नहीं आएगी।

मुख्य बातें

- विपक्ष भ्रांति फैला रहा कि यह विधेयक मुस्लिमों के धार्मिक क्रियाकलापों और उनके द्वारा दान की गई संपत्ति में दखल है
- मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से जुड़े ट्रस्ट यानी वक्फ में सरकार कोई दखल नहीं करना चाहती
- मुतवली, वाकिफ, वक्फ सब मुस्लिम ही होंगे, परन्तु यह जरूर देखा जाएगा कि वक्फ की संपत्ति का रखरखाव ठीक से हो रहा है या नहीं
- वक्फ बोर्ड में धार्मिक दान से जुड़े कार्यों में किसी गैर–इस्लामिक सदस्य को जगह नहीं मिलेगी
- वक्फ बोर्ड या इसके परिसरों में जिन गैर–मुस्लिम सदस्यों को रखा जाएगा, उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित नहीं होगा
- वक्फ बोर्ड का काम वक्फ की संपत्तियां बेच खाने वालों को पकड़कर बाहर निकालने का होना चाहिए
- वर्ष 2013 में रातों–रात तुष्टीकरण की खातिर वक्फ कानून को Extreme बना दिया गया, जिसके कारण दिल्ली में लुटियन्स जोन की 123 वीवीआईपी संपत्ति वक्फ को दे दी गई
- मोदी सरकार का स्पष्ट सिद्धांत है कि वोट बैंक के लिए हम कोई कानून नहीं लाएंगे क्योंकि कानून न्याय और लोगों के कल्याण के लिए होता है
- सबको अपने धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है, लेकिन लोभ, लालच और भय से धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता
- वक्फ पर संसद द्वारा बनाया जा रहा कानून, भारत का कानून है, इसे सभी को स्वीकारना होगा
- 1913 से 2013 तक वक्फ बोर्ड की कुल भूमि 18 लाख एकड़ थी, जिसमें 2013 से 2025 तक और नई 21 लाख एकड़ भूमि बढ़ गई
- लीज पर दी गई संपत्तियां 20 हजार थीं, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से 2025 में ये संपत्तियां शून्य हो गईं, ये संपत्तियां बेच दी गईं
- यह विधेयक जमीन की सुरक्षा प्रदान करेगा, किसी की जमीन घोषणा मात्र से वक्फ़ नहीं बनेगी और उसे सुरक्षा मिलेगी
- दान केवल अपनी संपत्ति का किया जा सकता है, सरकारी या किसी और की संपत्ति का दान नहीं किया जा सकता
- राम जन्मभूमि, ट्रिपल तलाक और CAA के समय भी मुस्लिम समुदाय के लोगों में भय पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन मुस्लिम समुदाय भी जानता है कि भय की कोई बात नहीं है
- दो साल हो गए CAA से किसी की नागरिकता नहीं गई, अगर CAA से किसी की नागरिकता गई है तो विपक्ष उसकी जानकारी सदन के पटल पर रखे

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमान

वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया

हम वक्फ बोर्ड्स को बहुत ही धर्मनिरपेक्ष और समावेशी बनाना चाहते हैं: किरेन रिजिजू

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने दो अप्रैल को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा व्यापक विचार–विमर्श के बाद लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इस बार संयुक्त समिति में वक्फ संशोधन विधेयक पर भारत के संसदीय इतिहास में बहुत व्यापक रूप से चर्चा हुई है। कुल मिलाकर 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वैस्ट

के रूप में और सुझाव के रूप में आई हैं। सरकार ने उनको पूरी तरह से देखा है, चाहे वह जेपीसी के माध्यम से आई हो या डायरेक्ट दिया गया हो। आज तक इतनी ज्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर लोगों की याचिकाएं नहीं आई हैं। कुल मिलाकर 284 डेलिगेशन्स ने समिति के सामने अपनी बात को रखा है और सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज के वक्फ बोर्ड ने अपने निवेदन प्रस्तुत किए हैं।

मैं बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद वर्ष 1954 में वक्फ अधिनियम पहली बार आजाद भारत का अधिनियम बना। उस समय वर्ष 1954 के अधिनियम में स्टेट वक्फ बोर्ड का भी प्रावधान किया गया था। उस समय से लेकर कई संशोधनों के साथ वर्ष 1995 में व्यापक रूप से यह वक्फ अधिनियम बना है। उस समय किसी ने नहीं कहा कि यह गैर–कानूनी है। वर्ष 1995 में पहली बार ट्राइब्यूनल की व्यवस्था की गई है, ताकि वक्फ बोर्ड का कोई भी निर्णय अगर किसी को पसन्द नहीं है, अगर वह उसको चैलेंज करना चाहता है, तो वह वक्फ ट्राइब्यूनल में जा सकता है।

वर्ष 2013 में कुछ ऐसे कदम उठाये गये, जिसे सुनकर दिमाग में यह सवाल जरूर उठेगा कि ऐसा कदम क्यों उठाया गया था। वर्ष 2013 में पहला यह बदलाव हुआ कि इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो या जैन हो, वक्फ क्रिएट कर सकता है। सबको यह मालूम है कि अल्लाह के प्रति एक पवित्र, धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्य के लिए वक्फ क्रिएट किया जाता है, लेकिन उसे शिथिल करके वर्ष 2013 में उस समय की यूपीए सरकार ने यह प्रावधान किया कि कोई भी वक्फ क्रिएट कर सकता है।

हमारे देश में वक्फ बोर्ड के पास थर्ड लार्जेस्ट लैंड बैंक है

वक्फ बनाने के संबंध में हमारी सरकार ने वर्ष 1995 के प्रावधानों को फिर से रिवाइव करते हुए यह जोड़ा है कि वक्फ वही क्रिएट कर सकता है, जो मिनिमम पांच साल इस्लाम को प्रैक्टिस करता है। हम वक्फ बोर्ड्स को बहुत ही धर्मनिरपेक्ष और समावेशी बनाना चाहते हैं। इसलिए इसमें पिछड़े मुस्लिम लोग, महिलाएं और एक्सपर्ट नॉन–मुस्लिम को शामिल करने

का भी प्रावधान रखा गया है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कुल 22 मेंबर्स में से चार नॉन–मुस्लिम से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। दस मुस्लिम सदस्यों में से दो महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। इसी तरह से स्टेट बोर्ड में 11 मेंबर्स में 3 से ज्यादा नॉन–मुस्लिम नहीं हो सकते हैं। चार मुस्लिम सदस्यों में से दो महिलाएं होंगी।

आर्बिट्ररी प्रोविजंस और इनसफिशिएंट प्रोविजन के स्थान पर हमने नया प्रावधान लाया है। हमारे देश में वक्फ बोर्ड के पास थर्ड लार्जेस्ट लैंड बैंक है। जब दुनिया की सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है, तो हमारे गरीब मुसलमानों की पढ़ाई, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्किलिंग, इनकम जेनरेशन के लिए आज तक क्यों काम नहीं हुआ? उस प्रॉपर्टी से गरीबों के उत्थान और लोगों की भलाई करने का काम इस विधेयक के माध्यम से किया जाना है और इसके लिए आज इस वक्फ संशोधन बिल की जरूरत है। वर्ष 2006 में 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज से कुल आय 163 करोड़ रुपये थी और आज यह इनकम 166 करोड़ रुपये है। अगर 10 सालों के बाद भी दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी की टोटल इनकम जनरेशन 3 करोड़ रुपए बढ़ती है, तो इसे हम कभी भी मंजूर नहीं कर सकते हैं।

सच्चर कमेटी के समय भी कहा गया था कि अगर इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा भी कुशलता से मैनेज करते तो 12 हजार करोड़ रुपये प्रति साल उस समय जेनरेट हो जाना चाहिए था। आज 4.9 लाख से बढ़कर हमारे देश में कुल वक्फ प्रॉपर्टीज 8.72 लाख हो गयी है। यदि 8.72 लाख वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो इससे मुसलमानों के साथ–साथ देश की तकदीर बदल जाएगी। जेपीसी की कई सिफारिशों को इस विधेयक में शामिल किया गया है।

वर्ष 2006 में 4.9 लाख वक्फ प्रोपर्टीज से कुल आय 163 करोड़ रुपये थी और आज यह इनकम 166 करोड़ रुपये है। अगर 10 सालों के बाद भी दुनिया की सबसे ज्यादा प्रोपर्टी की टोटल इनकम जनरेशन 3 करोड़ रुपए बढ़ती है, तो इसे हम कभी भी मंजूर नहीं कर सकते हैं।

सच्चर कमेटी के समय भी कहा गया था कि अगर इन प्रोपर्टीज को थोड़ा सा भी कुशलता से मैनेज करते तो 12 हजार करोड़ रुपये प्रति साल उस समय जेनरेट हो जाना चाहिए था। आज 4.9 लाख से बढ़कर हमारे देश में कुल वक्फ प्रोपर्टीज 8.72 लाख हो गयी है। यदि 8.72 लाख वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन किया जाए तो इससे मुसलमानों के साथ-साथ देश की तकदीर बदल जाएगी। जेपीसी की कई सिफारिशों को इस विधेयक में शामिल किया गया है।

यह कहना ठीक नहीं है कि संयुक्त संसदीय समिति की बात को नहीं माना गया है। विधेयक को लेकर सबके मन में उम्मीद जगी है, इसलिए इस विधेयक का नाम ''उम्मीद'' अर्थात यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्पॉवरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रखा गया है। इस अधिनियम से मुसलमानों में भी जो शिया है, सुन्नी हैं, बोहरा हैं, आगाखानी, पसमांदा मुस्लिम्स हैं, जिनको बैकवर्ड माना जाता है, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए हमने जो प्रावधान रखे हैं, सबका सशक्तीकरण होगा। हम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर कार्यकुशलता बढ़ाएंगे, केन्द्रीयकृत डाटाबेस बनेगा और इसमें पंजीकरण का पूरा प्रावधान है। नौकरशाही से संबंधित मुद्दों से निपटने का भी प्रावधान है। ऑडिट का प्रावधान हम लोग राज्य सरकार के ऊपर छोड़ रहे हैं, क्योंकि आखिर में सारी प्रॉपर्टी की अथॉरिटी राज्य सरकार की है। नियुक्ति बोर्ड का गठन राज्य सरकार करेगी, क्योंकि भूमि राज्य सूची का विषय है। केन्द्र सरकार कोई अतिरिक्त शक्ति नहीं ले रही है। सब कुछ राज्य सरकार के अधीन है।

यह कानून किसी की जमीन छीनने वाला नहीं

तीन उद्देश्यों अर्थात् धार्मिक, चैरिटेबल और पवित्र कार्यों के लिए वक्फ बोर्ड सृजन होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि मुसलमानों में जो भी जो वक्फ के अंदर अपनी प्रॉपर्टी इस वक्फ बोर्ड के प्रावधान से चलाना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यह कानून किसी की जमीन छीनने वाला नहीं है, यह कानून किसी हक और उसकी संपत्ति को हड़प करने वाला नहीं है। विधेयक में प्रावधान रखा है कि जब कोई भी मुसलमान वक्फ क्रिएट करता है, तो सबसे पहले उस परिवार की महिला का जो अधिकार है, उसको सुरक्षित करके ही वह वक्फ क्रिएट कर सकते हैं। आप उसी संपत्ति को ही वक्फ क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपका 100 प्रतिशत हिस्सा है।

हमने समिति के सुझाव को मानते हुए कलेक्टर के ऊपर के अधिकारी को इस मामले के लिए प्राधिकृत किया है। आदिवासियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शेड्यूल 5 और शेडयूल 6 में वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं किया जा सकता है। न्यायाधिकरण में तीन सदस्यों को शामिल करने, उनका कार्यकाल निर्धारित करने के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया है ताकि विवाद का शीघ्र निस्तारण हो। वार्षिक अंशदान संबंधी समिति के सुझावानुसार मुतवल्ली के लिए अंशदान को 7 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया, ताकि चैरिटेबल कार्यों पर अधिक धन खर्च किया जाए। सेक्शन 40 के क्रूर प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।

विकसित भारत का अमृत काल
सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल

गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान

- **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना** के अंतर्गत **81करोड़+** लाभार्थियों को मिल रहा मुफ्त राशन
- **प्रधानमंत्री आवास योजना** के तहत **4 करोड़+** मकान बनाए गए
- **हर घर जल योजना** के अंतर्गत **15 करोड़+** ग्रामीण परिवारों को मिला नल से जल
- **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना** के तहत **51 करोड़+** लोगों को सुरक्षा कवरेज
- **प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना** के तहत **68 लाख+** रेहड़ी–पटरी विक्रेताओं को बिना ज़मानत ऋण

किसानों का कल्याण सुनिश्चित

- 2013–14 से 2025–26 तक, दलहन व तिलहन की MSP खरीद में क्रमशः **7350%** व **1500%** से अधिक वृद्धि हुई; धान और गेहूं की MSP **₹2,369** व **₹2,425** प्रति क्विंटल तक पहुंची
- खाद्य प्रसंस्करण क्षमता 12 से बढ़कर **242 लाख टन हुई**; निर्यात **$4.9** से बढ़कर **$9.03** बिलियन हुआ (2013–14 से 2024–25)
- **पीएम किसान सम्मान निधि** से किसानों को हर वर्ष **₹6,000** की सहायता; अब तक **₹3.7 लाख करोड़** वितरित
- पीएम फसल बीमा योजना के तहत **₹1.75 लाख करोड़+** दावे निपटाए गए
- किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से **7 करोड़+** किसानों को **₹10 लाख करोड़** की सहायता
- **मेगा फूड पार्क** की संख्या 2014 में 3 से बढ़कर 2024 में **24 हुई**

नारी शक्ति के लिए नई गति

- **नारी शक्ति वंदन अधिनियम** के तहत संसद व विधान सभाओं में महिलाओं को **33% आरक्षण**
- पहली बार, महिलाओं को **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश**
- मातृत्व अवकाश 12 से बढ़ाकर **26 सप्ताह** किया गया
- पीएम मातृ वंदना योजना के तहत **3.9 करोड़+** गर्भवती महिलाओं को **₹18,593 करोड़+** की आर्थिक सहायता
- **तीन तलाक कानून** ने **मुस्लिम महिलाओं** को न्याय दिलाया
- कोविड लोकडाउन के दौरान **20 करोड़+** महिलाओं को नगद सहायता प्रदान की गई

मध्यम वर्ग का जीवन आसान

- ₹12.75 **लाख** तक की आय पर शून्य आयकर
- 46 **करोड़+** व्यक्तियों और 6.5 **करोड़+** व्यापारियों को UPI बना रहा सशक्त
- **प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से 300 यूनित मुफ्त बिजली**, सौभाग्य योजनासे 100% **घरों** में बिजली कनेक्शन
- **मुद्रा योजना** के अंतर्गत छोटे उद्यमियों को ₹32 लाख करोड़ राशि के **52 करोड़+** ऋण वितरित किए गए
- 2014 में 5 शहरों तक सीमित **मेट्रो सेवाएं** 2025 में **23 शहरों तक पहुंची**

भारत की अमृत पीढ़ी हो रही सशक्त

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** के द्वारा भारत की शिक्षा प्रणाली की विश्वस्तरीय बनाया गया
- 2014-2024 में **15 AIIMS, 1,09,963 मेडिकल सीटें**, 7IITs, 8 IIMs **और 490 विश्वविद्यालयों** का निर्माण
- **पीएम श्री योजना** के तहत भारत में **14,500 स्कूलों** का आधुनिकीकरण किया गया
- **स्टार्टअप इंडिया** के तहत **1.6 लाख स्टार्टअप** से **17.6 लाख** रोजगार उत्पन्न
- 2024 में कुल 119 **स्टर्टअप्स यूनिकॉर्न** के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना
- **1,048 खेलों इंडिया केंद्र** जमीनी स्तर पर प्रतिभा को मजबूती प्रदान कर रहे हैं

सस्ती, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं

- **आयुष्मान भारत योजना** के अंतर्गत **55 करोड़+** लोगों को प्रति वर्ष **5 लाख** तक का निःशुल्क इलाज, **70 वर्ष** या एससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी लाभ
- विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाकर **220 करोड़** निःशुल्क कोविड वैक्सिन दी गई
- आज देश में कुल **23 AIIMS** और **2,045 मेडिकल कॉलेज है**
- **16.000+ जन औषधि केंद्र** से जनता को कम दरों पर दवाएं, जिससे हुई **₹38,000 करोड़ की बचत**
- **मिशन इन्द्रधनुष** के तहत 12 बीमारियों से बचाव के लिए **5.46 करोड़+** बच्चों और **1.32 करोड+** गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण

राष्ट्र प्रथम - राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति

- **ऑपरेशन सिंदूर** के तहत LoC पार 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर सैन्य आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन
- **अनुच्छेद 370** और **35A** हटने के बाद जम्मू–कश्मीर पूरी तरह भारत के संवैधानिक और राष्ट्रीय ढांचे में एकीकृत
- भारतका रक्षा निर्यात **34 गुना** बढ़कर 2024–25 में **₹23,622 करोड़**

- भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत **INS विक्रांत** बना रक्षा, आत्मनिर्भरता और ताकत का प्रतीक
- मार्च 2026 तक **नक्सलवाद खत्म** करने का लक्ष्य; अब तक हजारों नक्सली सरेंडर कर चुके है और कइ कमांडर मारे गए हैं

व्यापार सुगमता

- ईज ऑफ डुइंग बिजनेस इंडेक्स में **79 रैंक** की छलांग; 2014 में **142** से 2019 से **63** पर आए
- कारोबार को आसान बनाने के लिए **1,500+** पुराने कानूनों को किया निरस्त
- वर्ष 2023-24 में भारत में **1.80 लाख** नई कंपनियों का पंजीकरण, 2022-23 से **16% अधिक**
- पूर्वव्यापी कर और एंजेल टैक्स को निरस्त करके व्यापार के अनुकूल माहौल को बढ़ावा

भारत एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति

- 2014 में 10वें नंबर से आज 2025 में भारत **चौथे नंबर की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़नें वाली अर्थव्यवस्था** बनते जा रहा है
- वित्त वर्ष 2024-25 में वस्तुओं और सेवाओं में **$825 बिलियन** का रिकार्ड निर्यात दर्ज
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI) ने **₹1.61** लाख करोड़ निवेश, **₹14 लाख करोड़** उत्पादन, **₹5,31 लाख** करोड़ निर्यात और **11.5 लाख** नौकरियां पैदा की
- **₹29.8 लाख करोड़** के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से कोविड–19 के दौरान MSME और व्यवसायों को मदद
- भारत में स्वीकृत पेटेंट की संख्या वर्ष 2014-15 में **5,978** से **17 गुना बढ़कर** 2023-24 में **1,03,057** हुई

इंफ्रास्ट्रक्चर - प्रगति पथ

- पिछले 11 वर्षों (2014-25) में भारत के **राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 54,917 किलोमीटर** का विस्तार
- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** के अंतर्गत 2014 से अब तक **3.96 लाख किलामीटर ग्रामीण सड़कें** बनाई गई
- भारत में संचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में **74 से बढ़कर 2025 में 160 हुई**
- **उड़ान योजना** के अंतर्गत **86 नए हवाई अड्डे** बनाए गए और **88 गंतव्यों** को जोड़ा गया
- देश में हो रहा **136 विश्वस्तरीय वंदे भारत ट्रेनों** का संचालन
- **दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल**, चिनाब नदी पर **दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज**, पहाड़ों में **सबसे लंबा रेल टनल**, पंबन ब्रिज जैसी परियोजनाओं से देशको मिली नई गति

भारत का टेक्नोलॉजी युग

- भारत ने एक उड़ान में **104 उपग्रह** और पहला निजी रॉकेट **विक्रम-एस** लॉन्च कर नया रिकॉर्ड बनाया
- **DBT (Direct Benefit Transfer)** के जरिए **₹44 लाख करोड़** वितरित हुए, जिससे फर्जीवाड़े को रोकते हुए **₹3.48 लाख करोड़** की बचत हुई
- 22 महीनों में **5G सेवा 99.6% जिलों** तक पहुंची और **2.14 लाख ग्राम पंचायतों** को ब्रॉडबैंड से जोड़ा
- 2014 में **25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन** से बढ़कर जून 2024 में **97 करोड़+**; **285% की बढ़ोत्तरी**

विरासत और विकास

- **अयोध्या** में भव्य **राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर** और **महाकाल लोक** सहित प्रमुख सांस्कृतिक केंद्रों का विकास
- **प्रसाद योजना** के तहत सांस्कृतिक स्थलों के विकास में लगभग **₹1,900 करोड़** का अंशदान
- **भगवान बिरसा मुंडा** को सम्मानित करते हुए **जनजातीय गौरव दिवस** मनाया गया
- **वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025** के तहत वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ावा
- 11 साल में भारत को लौटाई गई **642 चोरी हुई कलाकृतियां,** 2013 तक सिर्फ 13 ही वापस आई थीं

नार्थ ईस्ट : प्रगति की नई दिशा

- 2014 के बाद पूर्वोत्तर में उग्रवाद **64% घटा,** AFSPA अब **75%** क्षेत्रों से हटा लिया गया है
- **बोडो शांति समझौता 2020** और नागा, कार्बी, NLFT (SD), आदिवासी समूहों, DNLA, ULFA, NLFT और ATTF के साथ शांति समझौतों से उत्तर–पूर्व में शांति स्थापित
- **मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट** के तहत 434 **किसान उत्पादक संगठन** (एफपीओ) बनाए गए; **2.19 लाख** किसान लाभान्वित
- पिछले 11 वर्षों में **10 ग्रीनफील्ड हवाई** अड्डे बनाए गए
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए **44,859+ करोड़** की **3,613 परियोजनाओं** को मंजूरी

पर्यावरण एवं सतत विकास

- वर्ष 2014 से **अक्षय ऊर्जा क्षमता** लगभग **3 गुनी हुई**
- भारत ने **गैर-जीवाश्म** ईंधन स्रोतों से **40% ऊर्जा** प्राप्त करने का **COP21** का लक्ष्य हासिल किया
- वर्ष 2014 में शुरू किए गए **नमामि गंगे** कार्यक्रम के तहत **₹40,481 करोड़** की **494 परियोजनाओं** को मंजूरी दी गई, जिनमें से **315** पूरी हो चुकी है
- **प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना** के तहत **14 राज्यों** और **4 केंद्र शासित प्रदेशों** के शहरों के लिए **7,293 इलेक्ट्रिक बसों** को मंजूरी

लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने सतत् विकास पर आधारित सुशासन के माध्यम से जन कल्याण के कार्य किए : शिव प्रकाश

अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती पर संगोष्ठी

भारतीय जनता पार्टी राँची महानगर द्वारा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर राजधानी राँची के कार्निवाल बैंक्वट हॉल में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। संगोष्ठी में बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी, महिला, युवा और स्थानीय कार्यकर्ता उपस्थित थे।

संगोष्ठी में वर्चुअल तौर पर उपस्थित मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) श्री शिव प्रकाश ने कहा कि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सतत् विकास पर आधारित सुशासन के माध्यम से जन कल्याण के कार्य किए। उन्होंने विकास और सुशासन के उच्च मानदंड को स्थापित करते हुए लोक कल्याणकारी सुशासन दिया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के माध्यम से परोपकार और सेवा कार्य को किया। जन कल्याण और सामाजिक समरसता उनके सुशासन के आधार थे।

श्री शिव प्रकाश ने कहा कि लोकमाता ने अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसानों की स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में कई कार्यों को किया। भूमिहीन किसानों को पट्टे पर भूमि देने की व्यवस्था की। सिंचाई की व्यवस्था और पेयजल के लिए तालाब और कुएं खुदवाये। बंजर भूमि का उपयोग कृषि के लिए कैसे हो; उसकी चिंता की। किसानों के स्वावलम्बन की दिशा में महारानी ने कई प्रकार के काम किए।

उन्होंने कहा कि लोकमाता के आदर्शों और सिद्धांतों की प्रेरणा से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार भी किसानों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। किसान सम्मान योजना One drop More Crop, Soil Health सहित कई कार्यक्रम किसानों के सशक्तिकरण के लिए ही चलाये जा रहे हैं।

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में समाज को सशक्त बनाने की दिशा में अनेक कार्य किए। उनकी शासन व्यवस्था सुदृढ़ थी तथा उन्होंने लोक कल्याण को प्राथमिकता देकर संवेदनशील शासन व्यवस्था कायम की।

श्री मरांडी ने कहा कि सनातन संस्कृति में मातृशक्ति का सम्मान सृष्टि के प्रारंभ से ही है। हमारी संस्कृति में ही मां–बहनों की पूजा होती है। गौ को माता के रूप में, धरती को माता के रूप में, गंगा को माता के रूप में पूजा की जाती है। शक्ति के रूप में भी हम पूजा करते हैं। अहिल्याबाई होलकर भी शक्ति की प्रतीक थीं। उनका पूरा जीवन देश, समाज और धर्म को समर्पित था।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने भी महिला शक्ति के सम्मान की चिंता करते हुए कई कार्य किए हैं। 33% आरक्षण, उज्ज्वला, शौचालय, जनधन ये सभी योजना महिलाओं को समर्पित है।

पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री रवीन्द कुमार राय ने कहा कि वामपंथी इतिहासकारों ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत देश के युवाओं को हमारे गौरवशाली इतिहास से परिचित नहीं होने दिया। इन वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे राष्ट्र के नायकों

का अपमान किया है। महाराणा प्रताप एवं शिवाजी के अपमान करने से ये इतिहासकार नहीं चूके।

लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जैसी नेतृत्वकर्त्ता के प्रेरक राष्ट्रीय चरित्र को विदेशी मानसिकता से ग्रसित लोगों ने सामने नहीं आने दिया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकमाता के योगदान को सम्मान दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण का काम हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, संपति का अधिकार, PM आवास महिला को 33% महिलाओं को आरक्षण जैसे कई ऐसी योजनाओं को लाया; जिससे देश की नारीशक्ति के विकास को नया आयाम मिला।

संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि महारानी अहिल्याबाई होलकर एक धर्मपरायण महिला थीं। साहस, पराक्रम एवं धर्मपरायणता से परिपूर्ण अहिल्याबाई ने समाज सेवा की अप्रतिम मिसाल पेश की है। आज के परिप्रेक्ष्य में भी अहिल्याबाई प्रासंगिक है तथा देशवासियों के प्रेरणा की स्रोत हैं। महारानी ने एक ओर जहाँ समाज सेवा के माध्यम से प्रजा के मान सम्मान का ख्याल रखा वहीं दूसरी ओर राष्ट्र की सांस्कृतिक व धार्मिक विरासत को बचाये रखने के लिए कार्य किया। उन्होंने मुगल शासन काल के दौर में भारत के प्राचीन मठ–मंदिरों को बनाया। काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना की। श्री मुंडा ने कहा कि जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है; वो खत्म हो जाता है। इसलिए हमें अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेकर भारत की मजबूती के लिए कार्य करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व विजयी बनने जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। सामरिक दृष्टि से भारत की मजबूती का दुनिया लोहा मान रही है। हमें अपने पूर्वजों के जीवन से प्रेरणा लेकर एक भारत और श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करना है।

केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने पारदर्शी, एवं न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था के साथ जनता की सेवा की। उन्होंने देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के पुनरूद्धार की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। लोकमाता ने राम मंदिर, काशी विश्वनाथ जैसे मंदिरों के पुनरूद्धार के साथ कई मठ–मंदिरों का विकास किया।

श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी भी अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम हुआ। उन्होंने कहा कि देश की नारी शक्ति आज सफलता के झंडे गाड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारतीय महिला सैन्य अधिकारी की बहादूरी की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है।

श्री सेठ ने कहा कि लोकमाता की प्रेरणा से ही प्रधानमंत्री जी ने 33% महिलाओं को आरक्षण देकर महिलाओं की प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया।

इस अवसर पर रांची के विधायक श्री. सी.पी. सिंह ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की कर्त्तव्यपरायणता, धर्मपरायणता और न्याय परायणता से हमें सीख लेकर देश व समाज सेवा का कार्य करना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी लोकमाता के पदचिन्हों पर चल रहे हैं तथा राष्ट्र को सशक्त बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति सदैव सबला रही है। ''ऑपरेशन सिंदूर'' के माध्यम से देश की नारी शक्ति की बहादूरी और पराक्रम की पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है।

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए विधायक श्री नवीन जयसवाल ने कहा कि देश विरोधी शक्तियों के षड्यंत्र के कारण महारानी अहिल्याबाई होलकर के योगदान को जो सम्मान और स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हमारे देश में महिला नेतृत्वकर्त्ताओं की कमी नहीं है। एक–एक महिला अहिल्याबाई होलकर बन सकती है। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर के कारण महिलाओं को हक और अधिकार मिला।

इस अवसर पर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती आरती सिंह ने कहा कि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने समाज सेवा के साथ सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने की दिशा में काम किया। समाज में सुधार के लिए नारी शिक्षा पर जोर दिया तथा सती प्रथा को बंद कराने की दिशा में पहल भी की। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में जिस स्वयं सहायता समूह के माध्यम से विकास हो रहा है उसकी परिकल्पना महारानी अहिल्याबाई ने की थी।

जन सेवा और सांस्कृतिक पुनरुद्धार की प्रतिमूर्ति थीं रानी अहिल्याबाई होलकर: बाबूलाल मरांडी

रानी अहिल्याबाई होलकर शक्ति से नहीं युक्ति से शासन चलाने में विश्वास करती थीं : संगीता यादव
धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समुच्चय थीं अहिल्याबाई होलकर : डॉ रवींद्र कुमार राय
लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों एवं कार्यों को जन-जन तक पहुंचायें : कर्मवीर सिंह

भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाने की दृष्टि से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें बतौर मुख्य अतिथि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद श्रीमती संगीता यादव शामिल हुई।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर भारत की सांस्कृतिक जागरण एवं सनातन विचारों के साथ गरीबों असहायों की सेवा की जीवंत प्रतिमूर्ति थीं।

उन्होंने कहा कि कठिन चुनौतियों और विषम परिस्थितियों के बीच भी रानी अहिल्याबाई होलकर अडिग रहीं और जनसेवा में निरंतर सक्रिय रहीं।

उन्होंने कहा कि बचपन से ही उनकी भगवान शिव में गहरी आस्था रही। उन्होंने अपना तीस वर्षों का शासन भगवान शिव की आज्ञा मानकर चलाया।

उन्होंने कहा कि लोकमाता ने काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर (जिसको मुगलों ने क्षति पहुंचाई थी) का पुनरुद्धार कराया। 16 करोड़ की निजी संपत्ति से उन्होंने सनातन धर्म के चारों धाम, सात पूरी और 12 ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार कराया। वेद विद्वानों की नियुक्ति की और शास्त्रों के मनन चिंतन की व्यवस्था की।

उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 300 साल बाद फिर एक बार भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा है। जिसे कांग्रेस पार्टी ने दबाने की हर संभव कोशिश की।

उन्होंने कहा कि भारत हजारों साल पुराना राष्ट्र है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान को श्रेष्ठ बताने की कोशिश की।

मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सांसद श्रीमती संगीता यादव ने अपने संबोधन में रानी अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तृत प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि रानी अहिल्याबाई ने न्याय, समाज सुधार और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया।

उन्होंने कहा कि रानी ने अपने शासन में सख्त दहेज विरोधी कानून बनाए, बिना संतान वाली विधवाओं की संपत्ति राज्य द्वारा जब्त करने की नीति समाप्त की, विधवाओं को बच्चा गोद लेने की स्वतंत्रता दी, विधवा पुनर्विवाह को नैतिक समर्थन दिया, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया, लड़कियों के लिए अलग विद्यालय खोले और महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की,महिलाओं को युद्ध कौशल सिखाया और महिला सैन्य टुकड़ी का गठन किया।

उन्होंने कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर का सम्पूर्ण जीवन सेवा और भक्ति को समर्पित रहा। वे शक्ति से नहीं युक्ति से शासन चलाने में विश्वास करती थीं।

इस अवसर पर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉ रवींद्र कुमार राय ने कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर शक्ति स्वरूपा मां थी। भारत की नारी शक्ति का बेहतरीन उदाहरण थीं।

शिव को साक्षी मानकर शासन चलाने में उन्होंने अपने पुत्र को भी दंडित करने में संकोच नहीं किया।

उन्होंने कहा कि भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए रानी अहिल्याबाई होलकर को याद करना भारत की आवश्यकता है। रानी अहिल्याबाई होलकर ने नैतिक मूल्यों के आधार पर शासन चलाने का इतिहास रचा।

उन्होंने कहा कि भारत आज श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रानी अहिल्याबाई के स्वप्न को साकार करने में जुटा है। पिछले एक दशक में भारत में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है।

प्रदेश संगठन महामंत्री श्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर सर्व समाज की मां थीं; इसलिए इनकी 300 वीं जन्म जयंती को सर्व समाज के साथ मनाते हुए इनके आदर्शों को जन–जन तक पहुंचाने का संकल्प लें।

इस अवसर पर जन्म जयंती कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक श्री विकास प्रीतम, सह संयोजक श्रीमती आरती सिंह, विधायक श्रीमती नीरा यादव, श्रीमती पूर्णिमा दास साहू, श्रीमती मंजू कुमारी ने भी अपने विचार रखे।

संचालन कार्यक्रम की सह संयोजक श्रीमती लवली गुप्ता और धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती अर्चना सिंह ने किया।

कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री एवं सांसद श्री आदित्य साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राकेश प्रसाद, श्रीमती आरती कुजूर, प्रदेश मंत्री श्री गणेश मिश्र सहित अन्य अपेक्षित कार्यकर्ता शामिल हुए।

वक्फ संपत्ति का सही उपयोग हो तो सऊदी अरब से भी ज्यादा धनी होंगे भारत के मुसलमान : दुष्यंत गौतम

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 गरीब मुसलमानों के हित में है : बाबूलाल मरांडी
वक्फ संशोधन कानून को लेकर जनता के बीच संपर्क एवं संवाद को बढ़ायेगी भाजपा : कर्मवीर सिंह

प्रदेश भाजपा कार्यालय में वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। जिसमें भाजपा द्वारा चलाए जाने वाले जागरण अभियान की प्रदेश टोली, प्रदेश पदाधिकारी, अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी सहित विभिन्न मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के जिलाध्यक्ष शामिल हुए।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी श्री दुष्यंत गौतम ने कहा कि वक्फ इस्लामी कानून के अंतर्गत स्थापित एक अपरिवर्तनीय धर्मार्थ निधि है जिसे भारत में वक्फ अधिनियम 1995 के तहत मान्यता प्राप्त है। इसमें इस्लामी कानून के तहत पवित्र धर्मार्थ कारणों से किए गए सभी दान शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि 2018 की केंद्रीय वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8 लाख एकड़ से अधिक वक्फ संपत्ति है जिसकी कीमत 10 लाख करोड़ से अधिक है।

उन्होंने कहा कि बावजूद इसके आज 31% मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने को मजबूर हैं। वक्फ संपत्ति से गरीब मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया गया। धार्मिक नेताओं और राजनेताओं के बड़े गुट ने वक्फ संपत्तियों को लूटकर आम मुसलमानों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया। इस प्रकार जन कल्याण के लिए बना वक्फ भारत का सबसे बड़ा घोटाला बन चुका है। उन्होंने कहा कि लगभग 70% वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा हो चुका है जबकि बाकी संपत्तियां मॉल, होटल और उद्योगों के लिए नाम मात्र किराए पर लीज दे दी गई है।

उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 ने असीमित अधिकार को हटाया है। सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित होने से रोकने की पहल की है। बोर्ड में महिलाओं के अधिकार को बढ़ाया है। इसे पारदर्शी बनाकर जवाबदेही सुनिश्चित की है।

उन्होंने कहा कि यदि वक्फ की संपत्ति का सदुपयोग होता तो आज भारत के मुस्लिम भाई बहन सऊदी अरब के मुसलमानों से भी ज्यादा अमीर होते।

उन्होंने कहा कि यह संशोधन कहीं से भी धार्मिक मान्यताओं पर अतिक्रमण नहीं है। यह संपत्ति से जुड़े मामलों को पारदर्शी बनाने की पहल है।यह विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने का प्रयास है।

इस अवसर प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वक्फ की जमीन को लुटेरों से बचाने के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम लाया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्वभाव है दुष्प्रचार करना। सीएए के बारे में फिर तीन तलाक के बारे में दुष्प्रचार किया। संविधान के बारे में दुष्प्रचार किया। संविधान की कॉपी हाथ में लेकर ये अपने पाप को छुपाना चाहते है। लेकिन जनता जानती है कि इन्होंने संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहब का कितना अपमान किया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा 2013 में किया गया वक्फ बोर्ड संशोधन नैसर्गिक न्याय के खिलाफ था। इसमें जमीन लुटेरों को असीमित अधिकार दिए गए थे। मोदी सरकार द्वारा यह संशोधन गरीब मुसलमानों के हित में लाया गया संशोधन है।

प्रदेश संगठन महामंत्री श्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि वक्फ संशोधन के माध्यम से मोदी सरकार गरीब मुसलमानों को हक और अधिकार दिला रही है। वक्फ की संपत्तियों को लूटरों से बचा रही है। पार्टी जनता के बीच संपर्क एवं संवाद के माध्यम से वक्फ संशोधन कानून के बारे में बतायेगी।

कार्यशाला में निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद श्री दीपक प्रकाश, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राकेश प्रसाद, श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, श्री विकास प्रीतम, श्रीमती आरती कुजूर, जागरण अभियान के प्रभारी प्रदेश महामंत्री एवं सांसद डॉ प्रदीप वर्मा, प्रदेश महामंत्री एवं सांसद श्री आदित्य साहू, प्रदेश महामंत्री श्री मनोज कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री श्री गणेश मिश्र, श्री दुर्गा मरांडी, श्रीमती सुनीता सिंह, श्री सरोज सिंह, श्री मनोज महतो सहित अपेक्षित नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

कार्यशाला का संचालन जागरण अभियान के प्रदेश संयोजक मो. कमाल खान एवं धन्यवाद ज्ञापन सह संयोजक श्री अमर कुमार बाउरी ने किया।

राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

केन्द्र सरकार द्वारा पाकिस्तानियों को बाहर करने के आदेश का पालन नहीं करने वाली हेमन्त सरकार के विरोध में प्रदर्शन में श्री बाबूलाल जी, श्री लक्ष्मीकांत जी, श्री नवीन जी एवं अन्य

केन्द्र सरकार द्वारा पाकिस्तानियों को बाहर करने के आदेश का पालन नहीं करने वाली हेमन्त सरकार के विरोध में प्रदर्शन में शामिल श्री रघुवर दास एवं अन्य

पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में राँची में निकाले गये मशाल जुलूस में शामिल श्री बाबूलाल मरांडी, श्री सी.पी. सिंह, श्री नवीन जयसवाल एवं अन्य

केन्द्र सरकार द्वारा पाकिस्तानियों को बाहर करने के आदेश का पालन नहीं करने वाली हेमन्त सरकार के विरोध में प्रदर्शन में श्री अर्जुन मुण्डा एवं अन्य

पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में धनबाद में निकाले गये प्रदर्शन में शामिल श्री ढुल्लू महतो, श्री राज सिन्हा, श्री सरोज सिंह एवं अन्य

पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में रामगढ़ में निकाले गये मशाल जुलूस में शामिल नेता एवं कार्यकर्ता।

पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में गढ़वा में निकाले गये मशाल जुलूस में शामिल नेता एवं कार्यकर्ता।

पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में जमशेदपुर में निकाले गये मशाल जुलूस में शामिल नेता एवं कार्यकर्ता।

RNI Title-Code : JHAHIN00946

संगठनात्मक गतिविधियाँ

राज्य सरकार के मंत्री हफीजुल हसन द्वारा संविधान विरोधी बयान के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन में शामिल श्री बाबूलाल मरांडी, श्री रवीन्द्र राय, श्री दीपक प्रकाश एवं अन्य।

दुमका जिला कार्यालय के भूमिपूजन सह शिलान्यास कार्यक्रम में श्री बाबूलाल मरांडी, श्री कर्मवीर सिंह, श्री दीपक बंका एवं अन्य।

बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत लोहरदगा में आयोजित संगोष्ठी में पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन एवं अन्य कार्यकर्ता।

वक्फ संशोधन अधिनियम पर आयोजित कार्यशाला में श्री बाबूलाल मरांडी, श्री दुष्यंत गौतम, श्री कर्मवीर सिंह, श्री दीपक प्रकाश, श्री अमर बाउरी, एवं मो. कमाल खान

राज्य सरकार के मंत्री हफीजुल हसन द्वारा संविधान विरोधी बयान के खिलाफ गिरिडीह में आयोजित आक्रोश प्रदर्शन में शामिल पार्टी की महिला कार्यकर्ता।

बोकारो जिला कार्यालय के भूमिपूजन सह शिलान्यास कार्यक्रम में श्री बाबूलाल मरांडी, श्री पी. एन. सिंह, श्री अमर बाउरी, श्री रवीन्द्र पाण्डेय, श्री बिरंची नारायण, श्री सरोज सिंह एवं अन्य।

दुमका में अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा आयोजित शिकारीपाड़ा, दुमका, जामा विधान सभा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल श्री बाबूलाल मरांडी, श्री कर्मवीर सिंह, श्री दीपक बंका एवं अन्य

बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत लातेहार में आयोजित संगोष्ठी में श्री बालमुकुंद सहाय एवं अन्य कार्यकर्ता।

प्रकाशक और मुद्रक **बालमुकुंद सहाय** द्वारा भारतीय जनता पार्टी झारखण्ड प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय एम-7, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, रॉंची-834002 से प्रकाशित और **कैलाश पेपर**, कोकर, राँची से मुद्रित, संपादक **रविनाथ किशोर**